

विचार

वर्ष : 23 अंक : 3 (83वाँ अंक) जुलाई-सितंबर, 2018



हमारे सार्वजनिक कार्यक्रमों को प्रभावी बनाना



यूरोपीय संघ



UNNATI



■ संपादकीय	3
■ 'नॉलेज मैनेजमेंट एंड इनोवेशन फॉर चेंज (KMIC) द्वारा आयोजित कार्यशाला में प्रस्तुत किए गए शोध अध्ययन के सारांश'	5
■ गुजरात में बाल अधिकारों की मुख्य बातों (लैंडस्केप) का विश्लेषण	5
■ बच्चों के लिए सामाजिक सुरक्षा रणनीतियों में निर्वाचित स्थानीय प्रतिनिधियों की भूमिका	9
■ गुजरात में विद्या लक्ष्मी योजना का कार्यान्वयन: अहमदाबाद से क्षेत्र आधारित गहन जानकारी	12
■ शिक्षा की गुणवत्ता: निजी बनाम सरकारी स्कूलों के लिए माता-पिता की प्राथमिकताएं	14
■ 'दो बालक की नीति'- 'ARC' द्वारा सांसदों को लिखा खुला पत्र	19
■ महिलाओं के लिए भूमि अधिकार: तर्क, बाधाएं और रणनीतियाँ	22
■ 'महिलाएं आधा आकाश थामे हुए हैं लेकिन जिस तरह उनके साथ व्यवहार किया जाता है उनके लिए उस भार को वहन कर पाना बहुत मुश्किल है'	25

संपादकीय

हमारे सार्वजनिक कार्यक्रमों को प्रभावी बनाना!

सार्वजनिक कार्यक्रम नागरिकों, खासकर गरीबों को अपना अस्तित्व बचाए रखने और गरीबी के दुष्चक्र से बाहर आने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। नागरिकों की जरूरतों और मांगों, उत्तरदायित्व, सामर्थ्य, दक्षता, वितरण तंत्र, पारदर्शिता और जवाबदेही को ध्यान में रखते हुए सार्वजनिक कार्यक्रम तैयार किए जाते हैं। परंपरागत रूप से सार्वजनिक सेवाएं लोगों को इस तरह की सेवाओं को निष्क्रिय प्राप्तकर्ता बना देती हैं और उन्हें कार्यक्रम के तहत डिजाइन की गई सेवा के लिए अपनी पात्रता साबित करनी होती है। 'नई लोक सेवा' नागरिकों को नीति और सेवाएं प्रदान करने वाले सह-निर्माता के रूप में देखती है क्योंकि यह कार्यक्रम को अधिक प्रासंगिक और प्रभावी बनाता है। लोगों को अपने अधिकारों का दावा करना और लाभों को प्राप्त करना आसान होना चाहिए। BPL श्रेणी के लिए ही उपलब्ध, SECC में स्वतः समाविष्ट समूह, ऐसी विधवा जिसके बेटे की आयु 21 वर्ष से अधिक ना हो, ऐसा क्षेत्र जहां साक्षरता दर एक निश्चित प्रतिशत से कम हो जैसी शर्तों के साथ तैयार किए गए कार्यक्रम, संस्थागत प्रसव और पूर्ण टीकाकरण जैसी शर्तें, केवल पहले बाल प्रसव के लिए, आदि के लिए लोगों को अपनी पात्रता साबित करना बेहद मुश्किल लगता है। इसके अलावा नागरिक की स्थिति समय के साथ बदलती रहती है जिससे नवीकरण की आवश्यकता पड़ती है जो सेवा प्रदान करने के प्रशासनिक बोझ को बढ़ाती है।

विद्या लक्ष्मी योजना के कार्यान्वयन पर IIMA और UNICEF गुजरात द्वारा एक अध्ययन किया गया। यह कार्यक्रम 2002-03 में लड़कियों द्वारा अधबीच में स्कूल छोड़ने (ड्रॉपआउट) के मुद्दे को हल करने के लिए शुरू किया गया था। यह कार्यक्रम आज भी जारी है, भले ही ड्रॉपआउट में काफी गिरावट आई है। इस योजना के तहत, पहली कक्षा में प्रवेश के दौरान उस बालिका को जिसके गांव में महिला साक्षरता 35% से कम हो और शहरी क्षेत्रों में BPL परिवारों के बच्चे को 2000 रुपये का बांड जारी किया जाता है। आठवीं कक्षा पूरी कर लेने पर ब्याज के साथ बांड राशि का भुगतान किया जाता है। शिक्षकों द्वारा इस कार्यक्रम को चलाने के लिए गांव स्तर पर 35% साक्षरता की पुष्टि करने वाला मानदंड एक चुनौती रहा है। कार्यक्रम लड़कियों की शिक्षा में सुधार का महान कार्य कर रहा है। हालांकि, विद्या लक्ष्मी बॉन्ड उपयुक्त कार्यक्रम है या नहीं, यह पता लगाने के लिए कोई मूल्यांकन नहीं किया गया है। 2013 में CAG ने कार्यक्रम के संचालन पर टिप्पणी की थी क्योंकि परिवारों द्वारा अभी तक कई बॉन्ड के लिए दावा नहीं किया गया है। समय के साथ बॉन्ड धारक इसके बारे में भूल जाते हैं और परिवारों को ऐसा कोई प्रमाण/दस्तावेज जारी नहीं किया जाता जिन्हें बाद में दावे के सबूत के रूप में उपयोग किया जा सकता हो। लाभार्थियों का चयन करने, बॉन्ड जारी करने या परिपक्व बॉन्ड के वितरण की जिम्मेदारी सरकार पर है, जिससे लोगों द्वारा मांग करने में बाधा आती है। यह उच्च प्रशासनिक और संचालन लागत वाली एक काफी छोटी योजना है।

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) के तहत कस्तूरबा पोषण सहाय (KPSY) और हाल ही में प्रधान मंत्री मातृ वंदना योजना (PMMVY) गर्भवती माताओं को पोषण सहायता प्रदान करने वाले कार्यक्रम हैं। KPSY में BPL परिवारों के लिए और तीन प्रसव (डिलीवरी) तक 6000 रुपये का प्रावधान है और PMMVY में NFSA में प्राथमिकता सूची वाली माताओं के लिए 5000 रुपये का प्रावधान है और केवल पहले प्रसव के लिए जननी सुरक्षा योजना के तहत 1000 रुपये की अतिरिक्त राशि प्रदान की जाती है। पात्रता मानदंड यहीं समाप्त नहीं होता है। इसका भुगतान 3 किशतों में किया जाता है - गर्भावस्था के पंजीकरण के समय 2000 रुपये, संस्थागत प्रसव होने पर 2000 रुपये और अंतिम 2000 रुपये बच्चे का पूरी तरह से टीकाकरण होने पर। इतनी सारी शर्तों से न केवल लाभार्थी बल्कि सेवा संचालक भी भ्रमित होता है। इससे अधिक बहिष्करण होता है, व्यवस्था भ्रष्ट हो जाती है और आखिरकार वह उद्देश्य पूरा नहीं होता है जिसके

लिए इसे तैयार किया गया है। आज हमारे पास PM जन आरोग्य योजना है, जो एक अधिक कुशल सार्वजनिक कार्यक्रम लगता है, लेकिन गुजरात ने RSBY और MAA अमृतम योजना को अलग ही रखा है।

14वें वित्त आयोग के तहत वित्तीय हस्तांतरण के साथ, राज्य सरकारों को नीति बनाने और कार्यान्वयन प्रक्रिया में सुधार करने की आवश्यकता है। इन कार्यक्रमों को बहुत अधिक सुलभ और प्राप्त करने योग्य बनाने के लिए प्रोग्राम डिज़ाइन स्तर पर काफी कुछ करने की आवश्यकता है। एक या दो को छोड़कर सार्वजनिक कार्यक्रमों का आमतौर पर मूल्यांकन नहीं किया जाता है, जिसके कारण कार्यक्रम के सुधार के लिए प्राप्त सीखों और चुनौतियों के बारे में कोई जानकारी नहीं रहती है। इन कार्यक्रमों की पहुंच और प्रभावशीलता के बारे में कोई तुलनात्मक विश्लेषण उपलब्ध नहीं है। कार्यक्रमों की सार्वजनिक जवाबदेही का कोई मजबूत तंत्र नहीं है। राजस्थान राज्य ने 'राजस्थान सम्पर्क' नामक शिकायत निवारण पोर्टल तैयार किया है जो उपयोगकर्ता के अनुकूल है और हमें बताया गया है कि यह शिकायतों का समय पर निवारण करता है। ऐसे सार्वजनिक कार्यक्रमों के वित्त पोषण के संबंध में अन्य बड़े मुद्दे हैं, हालांकि, उन सार्वजनिक कार्यक्रमों को तैयार करने और कार्यान्वयन में अधिक ध्यान दिया जाना चाहिए जो नागरिकों की आसानी से समझ में आएँ और वे अपने हक मांग सकें। संस्थागत प्रसव जैसी कुछ शर्तों की पूर्ति, KPSY के मामले में पूर्ण टीकाकरण सेवा संचालक की जिम्मेदारी होगी, न कि नागरिक की, क्योंकि कार्यक्रम को हमारे सामने खड़े कुपोषण जैसे तात्कालिक मुद्दे को हल करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। सरकार को अपने कार्यक्रम की प्रभावशीलता का अध्ययन करने के लिए निवेश करना होगा। सच्चाई यह है कि सार्वजनिक कार्यक्रमों के जटिल रूप को देखते हुए लाभार्थी के कम शामिल हो पाने के कारण आवंटित धन भी खर्च नहीं किया जाता है।



‘नॉलेज मैनेजमेंट एंड इनोवेशन फॉर चेंज (KMIC) द्वारा आयोजित कार्यशाला में प्रस्तुत किए गए शोध अध्ययन के सारांश’

‘हर बच्चे के लिए उचित शुरूआत’ थीम को आगे बढ़ाने के लिए ‘नॉलेज मैनेजमेंट एंड इनोवेशन फॉर चेंज’ (KMIC) - ‘यूनिसेफ’ और ‘IIMA’ द्वारा स्थापित एक विशेष इकाई है। इस केंद्र का लक्ष्य बच्चों (0-18 वर्ष की लड़कियां और लड़के) और किशोरों (10-19 साल की लड़कियां और लड़के), खासतौर पर अलग-थलग पड़े समुदायों जैसे आदिवासियों, शहरी गरीबों और गुजरात के दूर-दराज वाले ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चों के लिए ज्ञान क्षेत्र बनाना है। यह साझेदारी जुलाई 2015 में तीन प्रमुख रणनीतिक परिणाम क्षेत्रों (SRA) पर स्थापित की गई थी:

1. विकास कर्ताओं/शोधकर्ताओं का ज्ञान समुदाय नेटवर्क बनाना।
2. वार्षिक व्याख्यान, परामर्श कार्यशालाओं/संगोष्ठियों आदि के माध्यम से सार्वजनिक नीति वार्ता के लिए ज्ञान-साझा करने के लिए प्लेटफॉर्म।
3. साक्ष्य तैयार करना - अच्छी प्रथाओं, विकास अनुसंधान और मूल्यांकन का दस्तावेज़ीकरण।

KMIC-चरण II के तहत, तीन शोध अध्ययन किए गए थे और जुलाई 2018 में आयोजित एक कार्यशाला में इनके सारांश प्रस्तुत किए गए।

इसके विषय हैं:

1. गुजरात में बाल अधिकारों की मुख्य बातों (लैंडस्केप) का विश्लेषण
2. बच्चों के लिए सामाजिक सुरक्षा रणनीतियों में निर्वाचित स्थानीय प्रतिनिधियों की भूमिका
3. गुजरात में विद्या लक्ष्मी योजना का कार्यान्वयन: अहमदाबाद से क्षेत्र आधारित गहन जानकारी
4. गुणवत्ता शिक्षा: निजी बनाम सरकारी स्कूलों के लिए माता-पिता की प्राथमिकताएं

चार केस अध्ययनों की सारांश रिपोर्ट विचार के इस अंक में प्रस्तुत की गई है।

गुजरात में बाल अधिकारों की मुख्य बातों (लैंडस्केप) का विश्लेषण

नीति बना करके सामाजिक कल्याण की दिशा में निरंतर ध्यान देने के बावजूद, गुजरात राज्य का अभी भी अपने बच्चों के कल्याण से संबंधित कई सामाजिक संकेतकों पर अपेक्षाकृत खराब प्रदर्शन रहा है, जिनमें स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा और सुरक्षा शामिल है। यह तब है जब गुजरात की अपेक्षाकृत मजबूत आर्थिक स्थिति है, सामाजिक नीति में लगे सभ्य नागरिक समाज और अकादमिक संस्थानों की उपस्थिति है। पिछले तीस सालों में वास्तव में गुजरात में बच्चों के अधिकारों और संरक्षण के लिए काम करने वाले गैर सरकारी संगठनों की शुरूआत की चरम स्थिति देखी गई है। राज्य में बाल कल्याण को बढ़ाने में इन संसाधनों की प्रभावशीलता में वृद्धि की इच्छा इस अध्ययन को करने का आधार है जो गुजरात में बाल अधिकारों और कल्याण के क्षेत्र में काम कर रहे कार्यकर्ताओं के परिदृश्य को वर्णित करता है। विशेष रूप से, हमने राज्य में बाल

कल्याण के सुधार की दिशा में काम करने वाले NGO, शिक्षाविदों और कॉर्पोरेट फाउन्डेशन की प्रकृति का वर्णन किया है।

डेटा संग्रह की पद्धति

हमने बाल अधिकारों और कल्याण के क्षेत्र में काम कर रहे गैर सरकारी संगठनों, कॉर्पोरेट फाउन्डेशन, और शिक्षाविदों सहित लगभग 250 हितधारकों के चयनित नमूने पर डेस्क शोध और प्राथमिक शोध (संरचित प्रश्नावली का उपयोग करके) के संयोजन का उपयोग किया है। संगठनों के राज्य या जिलेवार डेटाबेस की अनुपस्थिति में कार्यकर्ताओं का चयन विभिन्न सार्वजनिक और निजी संस्थाओं द्वारा होस्ट की गई वेबसाइटों और अभिलेखों से प्राप्त सूचियों से प्रासंगिक कार्यकर्ताओं की पहचान करके किया गया था। संगठनों के बारे में सार्वजनिक रूप से उपलब्ध जानकारी से राज्य के भीतर परिचालन

के भौगोलिक क्षेत्र, क्षेत्र के भीतर काम के विशिष्ट क्षेत्रों, परियोजनाओं, वित्त पोषण स्रोतों, और संगठनों के आकार (संचालन के क्षेत्र, परियोजना लागत, और लक्षित लाभार्थियों की संख्या और वर्गीकरण के संदर्भ में) के बारे में विस्तृत जानकारी एकत्रित की गई थी। इसके अतिरिक्त, पूरी तरह से डेस्क शोध के माध्यम से एकत्र की गई जानकारी को संगठनों के कुल नमूने (उनकी स्वैच्छिक भागीदारी पर समूह) के उपसेट के लिए ऑनलाइन, टेलीफोन के द्वारा या आमने-सामने किए गए सर्वेक्षणों द्वारा पूरा किया गया था।

गैर सरकारी संगठनों के चयन के लिए हमने नीति आयोग (भारत के सर्वोच्च नीति थिंक टैंक/नियोजन निकाय) द्वारा होस्ट और प्रबंधित NGO दर्पण का इस्तेमाल किया और उन गैर सरकारी संगठनों की पहचान की जिनके क्षेत्र का काम बाल कल्याण को सीधे प्रभावित कर रहा था, और जो राज्य में कार्य कर रहे थे। NGO दर्पण में सूचीबद्ध कुल 253 NGO को सूचीबद्ध किया गया था। माध्यमिक स्रोतों के माध्यम से एकत्र की गई जानकारी को सत्यापित करने और गहन सर्वेक्षण के माध्यम से अधिक विस्तृत जानकारी एकत्र करने के लिए हमने चयनित किए सभी 253 संगठनों से संपर्क करने का प्रयास किया। इनमें से, 113 गैर सरकारी संगठनों ने गहन साक्षात्कार में भाग लिया।

गुजरात राज्य में बाल अधिकारों के लिए काम कर रहे कॉर्पोरेट फाउन्डेशन का डेटाबेस नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) इन्फोबेस से लिया गया था। इन श्रेणियों का उपयोग उन कंपनियों की पहचान के लिए किया जाता था जिनकी CSR गतिविधियों को उनके संबंधित फाउन्डेशन से किया जा रहा था, और जिसका काम बाल अधिकारों और कल्याण के दायरे में आता था। इस डेटाबेस पर निर्धारित 279 प्रासंगिक कंपनियों में से 72 कंपनियां ऐसी थीं जिनके गुजरात में कॉर्पोरेट फाउन्डेशन थे। हालांकि, हम केवल 40 कॉर्पोरेट फाउन्डेशन के बारे में ही पर्याप्त संपर्क जानकारी प्राप्त कर सके थे। कॉर्पोरेट फाउन्डेशन पर डेटा मुख्य रूप से कंपनी की वेबसाइटों और CSR नीति दस्तावेजों के साथ-साथ वार्षिक CSR रिपोर्टों के माध्यम से भी उपलब्ध कराया गया था।

गुजरात राज्य के शिक्षा विभाग के वेब पोर्टल पर प्रदान की गई संकलित सूची के अनुसार गुजरात राज्य में पंजीकृत और संचालित प्रत्येक विश्वविद्यालय और संस्थान की वेबसाइट पर जाकर शिक्षाविदों का चयन किया था। इस पोर्टल पर कुल 55 विश्वविद्यालय सूचीबद्ध

थे, और इसमें निजी और सरकार द्वारा संचालित विश्वविद्यालयों को शामिल किया गया था। शिक्षाविदों का चयन बाल कल्याण के साथ उनके पिछले कार्य के आधार पर किया गया था। इस्तेमाल किए गए संकेतकों में सार्वजनिक रूप से उपलब्ध जानकारी से प्राप्त उनकी पिछली और चल रही परियोजनाओं, प्रकाशनों और अनुसंधान रुचियों को शामिल किया गया था। वर्तमान में गुजरात राज्य में 26 विश्वविद्यालयों में नियोजित कुल 65 शिक्षाविदों की पहचान की गई थी जो इस क्षेत्र में काम कर चुके थे या वर्तमान में काम कर रहे थे।

जाँच परिणाम

गुजरात में विकास के साथ एक प्रमुख चिंता इसकी असमान प्रकृति रही है। एकत्रित डेटा के निष्कर्ष इसकी पुष्टि करते हैं। भौगोलिक क्षेत्रों, संचालन की प्रकृति और संगठनों द्वारा किए गए कार्यों के प्रकार के संदर्भ में उपेक्षित क्षेत्र, और बाल कल्याण के भीतर और बाहर के क्षेत्र पहचाने जा सकते हैं। राज्य के पांच क्षेत्रों - सौराष्ट्र, कच्छ, मध्य, उत्तर और दक्षिण - में आधे से अधिक प्रतिचित्रित NGO, शिक्षाविद और कॉर्पोरेट फाउन्डेशन मध्य गुजरात के बड़े जिलों में स्थित थे। इसके विपरीत, दक्षिण गुजरात और कच्छ के क्षेत्रों में कम से कम प्रतिचित्रित कार्यकर्ता स्थित थे या संचालन कर रहे थे।

81 प्रतिशत गैर सरकारी संगठनों, 84 प्रतिशत कॉर्पोरेट फाउन्डेशन और 76 प्रतिशत शिक्षाविदों द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में कार्य किया गया, इसके बाद स्वास्थ्य क्षेत्र का नंबर आता है। बाल कल्याण के भीतर छह उप-क्षेत्रों के यूनिसेफ के वर्गीकरण के अनुसार, बाल भागीदारी के उप-क्षेत्र, मुद्दे आधारित पैरवी और दुरुपयोग और शोषण से सुरक्षा उपेक्षित क्षेत्र लगते हैं। यह क्षेत्रवार भिन्न था। मध्य क्षेत्र में लगभग 50 प्रतिशत प्रतिचित्रित गैर सरकारी संगठनों के लगभग समान वितरण थे जो बाल कल्याण के हरेक उप-क्षेत्रों में काम कर रहे थे और 74 प्रतिशत के उच्च अनुपात के साथ गैर सरकारी संगठन शिक्षा में काम कर रहे थे। इसकी तुलना उत्तर गुजरात से की जाती है जहां क्रमशः केवल 29 प्रतिशत और 36 प्रतिशत NGO बाल संरक्षण और मुद्दे-आधारित पैरवी पर काम कर रहे थे, और सौराष्ट्र में 32 प्रतिशत मुद्दे-आधारित पैरवी पर काम कर रहे थे। इस प्रकार हमने पाया कि केवल कुछ संगठन ही बाल कल्याण के किसी एक उप-क्षेत्र में काम करते हैं।

इसके अलावा, लगभग 72 प्रतिशत गैर सरकारी संगठनों ने सुझाव

दिया कि वे आने वाले तीन वर्षों में स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्रों में प्रयासों को प्राथमिकता देना जारी रखेंगे, केवल सोलह प्रतिशत ने बताया कि वे बाल कल्याण के लिंग असमानता, या अधिकार-आधारित दृष्टिकोण जैसे अन्य पहलुओं को प्राथमिकता देंगे।

यूनिसेफ इक्विटी एजेंडा के अधिकार-आधारित दृष्टिकोण की प्राथमिकता को देखते हुए यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि लगभग आधे प्रतिचित्रित गैर सरकारी संगठनों ने अधिकार-आधारित दृष्टिकोण की प्रासंगिकता नहीं देखी, या उन्हें इसके बारे में पता नहीं था, केवल तीन कॉर्पोरेट फाउन्डेशन ने उनको अपने काम से प्रासंगिक पाया। इसके विपरीत इस प्रश्न का जवाब देने वाले 15 में से 13 शिक्षाविदों ने विकास क्षेत्र के दृष्टिकोण के महत्व पर बल देते हुए अनुकूल प्रतिक्रिया दी।

हमने पाया कि आधे से अधिक कर्ता पूरी तरह से बच्चों के लिए काम नहीं करते हैं। जबकि राज्य में 65 प्रतिशत से अधिक NGO (ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों दोनों में) केवल राज्य में ही कार्य करते हैं, या पैसठ प्रतिशत से अधिक कॉर्पोरेट फाउन्डेशन के साथ गुजरात ही उन राज्यों में से एक है जहां वे काम करते हैं। उत्तर गुजरात और सौराष्ट्र से जिन गैर सरकारी संगठनों के नमूने लिए गए थे उनमें

किसी ने भी विभिन्न देशों में काम करने की सूचना नहीं दी, और सौराष्ट्र के केवल 10.7 प्रतिशत गैर सरकारी संगठनों ने देश के कई राज्यों में काम करने की सूचना दी। यह मध्य और उत्तर गुजरात में क्रमशः 33.3 प्रतिशत और 46.2 प्रतिशत गैर सरकारी संगठनों के विपरीत है। हालांकि सौराष्ट्र में NGO का प्रतिशत काफी अधिक 71.43 प्रतिशत था, जिन्होंने इस क्षेत्र के कई जिलों में काम करने की सूचना दी थी।

गैर सरकारी संगठनों और कॉर्पोरेट फाउन्डेशन द्वारा किए गए कार्यों की प्रकृति के संबंध में, हमने पाया कि 60 प्रतिशत से अधिक संगठन प्रशिक्षण, और सेवाएं प्रदान करने पर ध्यान केंद्रित करते हैं। कॉर्पोरेट फाउन्डेशन भी मुख्य रूप से अन्य संगठनों के लिए सुविधा/वित्त पोषण प्रदान करने के लिए काम करते हैं। केवल 45 प्रतिशत ने अनुसंधान गतिविधि पर और 43 प्रतिशत ने मुद्दे आधारित पैरवी पर काम किया। उत्तर गुजरात में 80 प्रतिशत और सौराष्ट्र में 65.4 प्रतिशत की तुलना में मध्य गुजरात में सेवाएं प्रदान कर रहे 56.6 प्रतिशत गैर सरकारी संगठनों की हिस्सेदारी का प्रतिशत अपेक्षाकृत कम था। अन्य दो क्षेत्रों में लगभग 26.7 प्रतिशत से 23.1 प्रतिशत की तुलना में मध्य गुजरात में शोध गतिविधि में काम कर रहे NGO का प्रतिशत काफी अधिक 54.7 प्रतिशत था।



अंत में, हम इस क्षेत्र में गैर सरकारी संगठनों के साथ विभिन्न कार्यकर्ताओं के सहयोग के दायरे का आकलन करते हैं। काफी मात्रा में प्रतिचित्रित NGO विश्वसनीयता के कुछ बुनियादी मानदंडों को पूरा करते हैं (आकार, बच्चे से संबंधित गतिविधि की प्राथमिकता, और प्रामाणिकता के संकेतक - जैसे वेबसाइट, पंजीकरण प्रमाणन, या राष्ट्रीय संगठन से जुड़ाव)। हालांकि, यह शुरू में संभवतः NGO दर्पण साइट पर सूचीबद्ध NGO से संपर्क करने का नतीजा है, जिसके लिए संगठनों को सूचीबद्ध होने के लिए कुछ मानदंडों को पूरा करना होता है।

दूसरा, साठ प्रतिशत से अधिक प्रतिचित्रित गैर सरकारी संगठनों ने पिछले तीन वर्षों में वृद्धि सूचित की है। मध्य गुजरात में गैर सरकारी संगठनों ने लाभार्थियों और परियोजनाओं की संख्या में वृद्धि सूचित की। हालांकि, गुजरात में परियोजनाओं में वृद्धि के प्रतिशत में कमी बतायी गई, और लगभग 75 प्रतिशत ने क्षेत्रों की संख्या में वृद्धि की सूचना दी। उत्तरी गुजरात में इसी प्रकार की रिपोर्ट मिली, 87.5 प्रतिशत गैर सरकारी संगठनों ने अपने बच्चों से संबंधित कार्यक्रमों के बजट में भी वृद्धि सूचित की। सौराष्ट्र में, परियोजनाओं की संख्या में वृद्धि के साथ उतने ही प्रतिशत NGO ने गुजरात में परियोजनाओं में वृद्धि सूचित की। हालांकि, मध्य और उत्तर गुजरात दोनों की तुलना में, सौराष्ट्र में बच्चों से संबंधित कार्यक्रमों के लिए बजट में कम वृद्धि रही, 52.4 प्रतिशत के साथ रिपोर्टिंग बजट वही रहा।

जबकि हमारे निष्कर्ष संगठनों की समग्र क्षमता में वृद्धि का सुझाव दे सकते हैं, लेकिन नए भौगोलिक इलाकों और क्षेत्रों में विस्तार से संगठन के व्यापक दृष्टिकोण में बच्चों से संबंधित कार्यक्रमों या गतिविधि की प्राथमिकता कम हो सकती है। साझेदारी बनाने के लिए KMIC की पहल के लिए यह संभावित रूप से एक महत्वपूर्ण बिंदु है।

सुझाव

गुजरात में बाल कल्याण और सुरक्षा के क्षेत्र में कार्यकर्ताओं की गतिविधि और पैमाने के विश्लेषण के आधार पर यह रिपोर्ट संभावित साझेदारी और KMIC पहल के तहत भावी प्रयासों से संबंधित निम्नलिखित सुझाव देती हैं।

1. बाल कल्याण के भीतर अन्य उप-क्षेत्रों में शिक्षा और स्वास्थ्य में प्रयासों को फिर से शुरू करने के लिए क्षेत्र में कार्यकर्ताओं को प्रोत्साहित करें: इसकी संभावना है कि 'दुर्व्यवहार और शोषण से बच्चों की सुरक्षा' और 'अधिकार-आधारित पैरवी' वाले उप-क्षेत्रों पर राज्य में संगठनों द्वारा काम कम हो। इन उप-क्षेत्रों वाले कार्यों को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है। यह इनसे किया जा सकता है:

- ए. कार्यकर्ताओं के परिदृश्य में अंतराल पर जोर देना,
- बी. रणनीतिक सहयोग के लिए अन्य उप-क्षेत्रों में काम कर रहे संगठनों की पहचान करना, उनके काम की प्रामाणिकता पर ध्यान देना

2. संगठनों के साथ साझेदारी और बातचीत के माध्यम से अधिकार-आधारित दृष्टिकोण के बारे में जागरूकता बढ़ाना: इस क्षेत्र में संगठनों में अधिकार-आधारित दृष्टिकोण की प्रासंगिकता के लिए जागरूकता और सराहना की कमी देखी गई थी, जिन पर ध्यान देने की आवश्यकता है

3. अकादमिक/शोध-आधारित संस्थानों के साथ सहयोग के लिए दायरा: संगठनों का सेवाएं और प्रशिक्षण प्रदान करने का काम अनुसंधान गतिविधि में संगठनों की सहायता के लिए अनुसंधान और अकादमिक संस्थानों के दायरे को इंगित कर सकता है। यह अधिकांश NGO द्वारा पुष्टि की जाती है कि वित्त पोषण प्राप्त करने में सहायता मांगने के अलावा, वे मुख्य रूप से निगरानी, मूल्यांकन और प्रभाव आकलन से संबंधित प्रशिक्षण की मांग कर रहे थे।

4. व्यापक डेटाबेस तैयार करना: हालांकि इस अध्ययन को पहला कदम माना जा सकता है, लेकिन कार्यकर्ताओं के चयन की पद्धति की सीमा ने ऐसे कई संगठनों को शामिल नहीं किया जा सका है जो NGO दर्पण मंच पर पंजीकृत नहीं हैं। इस अध्ययन में प्रतिचित्रित संगठनों और कार्यकर्ताओं के प्रकारों के अलावा, विकास गतिविधि के परिदृश्य में कानूनी केंद्र, समुदाय के नेता और कई छोटे स्वैच्छिक समूह शामिल हैं जो इस क्षेत्र में योगदान देते हैं लेकिन जिन्हें इस अध्ययन में शामिल नहीं किया जा सका है। ■

बच्चों के लिए सामाजिक सुरक्षा रणनीतियों में निर्वाचित स्थानीय प्रतिनिधियों की भूमिका

‘कानून के पारित होने और उसके वास्तविक कार्यान्वयन के बीच, एक पूरी तरह से अलग राजनीतिक क्षेत्र होता है, जिसका उसके अनौपचारिकता और विशिष्टता के बावजूद, नीति के निष्पादन पर बड़ा प्रभाव पड़ता है’

- जेम्स सी स्कॉट (1969)

सामाजिक सुरक्षा का एजेंडा सार्वजनिक सेवाओं के मूल में होना चाहिए। हालांकि, सार्वजनिक सेवाओं या उनकी डिलीवरी खराब और कमजोर होती है, न केवल गुणवत्ता में बल्कि इनको प्राप्त करने में भी। यह बच्चों के लिए लक्षित सेवाओं के बारे में विशेष रूप से सच है। सामाजिक सुरक्षा रणनीतियां अक्सर उन कमजोरियों को दूर करती हैं जो बच्चों को दुर्व्यवहार, शोषण और हिंसा के जोखिम का सामना करने की वजह होती हैं, इसलिए किसी विशेष समूह के रूप में बच्चों पर ध्यान देने के महत्व को व्यापक रूप से पहचाना जाता है। बाल संरक्षण नीतियों और कार्यक्रमों को बच्चों को सुरक्षात्मक वातावरण प्रदान करने, उनके विकास की प्रगति को बढ़ावा देने, स्वास्थ्य, शिक्षा और कल्याण में सुधार करने के साथ-साथ माता-पिता, नागरिक और समाज के उत्पादक सदस्य बनने के लिए उनकी क्षमताओं का विकास करने के लिए प्रदान करने की आवश्यकता है (यूनिसेफ, 2008)। लोकतंत्र सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमों को तैयार करने और पहुंचाने में निर्वाचित प्रतिनिधियों पर महत्वपूर्ण भूमिकाएं और जिम्मेदारियां डालता है। इस समझ को ध्यान में रखते हुए, इस रिपोर्ट में हमने बच्चों पर लक्षित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में स्थानीय निर्वाचित प्रतिनिधियों की प्रेरणा और प्रथाओं को समझने के लिए किए गए शोध के निष्कर्ष बता रहे हैं।

भारत सहित कई एशियाई देशों ने राष्ट्रीय कानूनों के माध्यम से शासन के विकेन्द्रीकरण को अनिवार्य माना है, जिसमें अंतर्निहित धारणा है कि इससे पिछले 30 वर्षों में बेहतर सेवा प्रदान करने के और सामाजिक सुरक्षा के परिणाम सामने आएंगे। 1992 में, 74वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम (CAA) के माध्यम से भारत ने शहरी स्थानीय निकायों (ULB) को विशिष्ट कार्यों को निर्दिष्ट करके शहरी सरकार के तीसरे स्तर के रूप में मान्यता दी है। हालांकि इसकी प्रेरणा सेवा प्रावधान में नागरिकों की पसंद और आवाज़ को प्रोत्साहित करने के साथ-साथ प्रदाताओं की निगरानी और अनुशासन को प्रोत्साहित करने के लिए हो सकती है, लेकिन व्यावहारिक रूप से कानून अधिकांश जगहों में सेवा प्रदान करने की श्रृंखला में गरीबों के लिए सहभागी मंच प्रदान करने में विफल रहा है।

इस अध्ययन में अहमदाबाद शहर में शहरी गरीबों के साथ नगर पार्षदों के औपचारिक और अनौपचारिक बातचीत पर ध्यान केंद्रित करके बाल सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्र में स्थानीय निर्वाचित प्रतिनिधियों के कामकाज की पड़ताल की गई है। 7 मिलियन से अधिक आबादी वाला अहमदाबाद गुजरात का सबसे बड़ा शहर है और देश का 5वां सबसे बड़ा शहर है। अहमदाबाद नगर निगम (AMC) प्राथमिक शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता, परिवहन, आधारभूत संरचना विकास, जल आपूर्ति जैसी सेवाओं के लिए जिम्मेदार है। अहमदाबाद शहर के 48 वार्डों में 192 वार्ड पार्षदों का चुनाव करने के लिए हर 5 साल में आम चुनाव होते हैं। ये पार्षद निगम के निर्वाचित विंग होते हैं। प्रभावी सेवा प्रदान करने और उत्तरदायित्व के लिए, 15 विशेष समितियां गठित की जाती हैं जिनमें पार्षद सदस्य होते हैं। इसके शीर्ष पर एक अलग उच्चाधिकार प्राप्त स्थायी समिति होती है जिसमें भी निर्वाचित प्रतिनिधि शामिल होते हैं। AMC द्वारा संचालित 371 प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में लगभग 1,31,000 बच्चे पढ़ते हैं और उनमें से अधिकतर गरीब परिवारों से आते हैं, जिसमें मुख्य निकाय नगरपालिका स्कूल बोर्ड कमेटी होती है।

नीति दस्तावेजों के अध्ययन के अलावा, हम AMC के 18 वार्ड पार्षदों के साथ गहन, अर्ध-संरचित साक्षात्कार का उपयोग करते हैं। नमूने में पार्षद का चयन अधिकतम विविधता मानदंडों पर आधारित है, जो पार्षद की लिंग, जाति और राजनीतिक संबद्धता के आधार पर अलग-अलग होता है। हमने एक आगमन विधि का उपयोग किया जहां प्रत्येक साक्षात्कार को प्रतिलेख में परिवर्तित किया गया था, और प्रत्येक प्रतिलेख से, अनुभवों के पैटर्न की पहचान और सूचीबद्ध किया गया था। इन पैटर्न का उपयोग व्यापक श्रेणियों के लिए किया गया था। विषयगत विश्लेषण का उपयोग करके सभी डेटा की पहचान कर ली गई थी जो पहले से ही वर्गीकृत श्रेणियों से संबंधित था।

यह अध्ययन पार्षदों की पृष्ठभूमि और संसाधनों का आकलन करने के लिए केवल साक्षात्कार के दौरान उनके द्वारा प्रदान की गई

जानकारी पर निर्भर था। 18 उत्तरदाताओं में से केवल 3 स्नातकोत्तर हैं, और 11 स्नातक हैं। बाकी ने केवल अपनी स्कूली शिक्षा पूरी की है। जिन पार्षदों से साक्षात्कार किया गया उन सभी ने बताया कि ऋष्व से प्राप्त होने वाला मुआवजा उनकी अपेक्षाओं से कम है। कई पुरुष पार्षद समानांतर व्यवसाय करते हैं, लेकिन महिला पार्षदों को अतिरिक्त व्यवसाय करना मुश्किल लगता है।

अधिकांश पार्षद वार्ड के मतदाताओं और उनकी समस्याओं के बारे में जागरूक हैं। पार्षदों की जाति/धार्मिक पहचान उनके दिन-प्रतिदिन कार्य और प्राथमिकताओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। हम पाते हैं कि आगे बढ़ने की अपनी महत्वाकांक्षाओं को देखते हुए और पार्टी लाइन के प्रति अपनी वफादारी साबित करने के लिए पार्षद अक्सर स्थानीय प्राथमिकताओं के बजाय राष्ट्रीय/राज्य एजेंडा पर चलते हैं। पार्षदों ने इस धारणा को व्यक्त किया कि राजनीतिक दलों ने पार्षदों के महत्व को समझा है और अपनी विचारधारा और अपने एजेंडे को लागू करने वालों के रूप में उनका उपयोग करने के लिए भी उत्सुक थे। नतीजतन, पार्षद लगातार अपने पार्टी आकाओं के प्रति 'ऊपर की ओर' जवाबदेही और जिन नागरिकों ने उन्हें निर्वाचित किया है और जिनका वे प्रतिनिधित्व करते हैं उनके प्रति नीचे की ओर जवाबदेही के बीच तनाव में संतुलन साधते रहते हैं। नगर निगम जो बाहर से एक अत्यधिक संगठित संरचना प्रतीत होता है, वह चुने हुए विंग के भीतर और निर्वाचित और कार्यकारी विंग के बीच अनौपचारिकता की कई परतों के साथ अव्यवस्थित जिगसा पहली की तरह दिखता है। पार्षद वित्तीय संसाधनों को प्राप्त करने और नागरिकों की शिकायतों का समाधान करने के कई अलग-अलग तरीकों का उपयोग करते हैं। अपने सामाजिक संबंधों, राजनीतिक दल में स्थिति, निगम में वरिष्ठता और विशेष समितियों में सदस्यता के आधार पर, नगर निगम के पार्षद अपने वार्डों के लिए अपने निश्चित आवंटित बजट प्रति वर्ष 2.1 मिलियन से अधिक संसाधन प्राप्त कर लेते हैं।

हालांकि कुछ पार्षदों ने शिकायत निवारण में तेजी लाने के लिए अपने राजनीतिक और सामाजिक नेटवर्क का काफी हद तक उपयोग करने के बारे में बताया था, लेकिन अधिकांश पार्षद शिकायतों का समाधान करने के लिए प्रशासनिक अधिकारियों पर निर्भर रहते हैं। कुछ पार्षदों द्वारा अपने वार्डों से प्राप्त शिकायतों के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक शिकायत पंजीकरण प्रणाली का उपयोग भी किया जाता है। इसके बाद पार्षद उत्तरदायित्व दिखाने के तंत्र के रूप में इन शिकायतों के हल होने पर नज़र रखते हैं।

संस्थागत प्रक्रियाओं और नीतियों पर प्रशिक्षण की कमी का जिक्र करते हुए, पहली बार के पार्षदों ने निगम की औपचारिक संरचनाओं को समझने के लिए संघर्ष, और अनौपचारिक राजनीतिक और कार्यकारी संबंध के बारे में बताया जो निगम को नियंत्रित करते हैं। अधिकांश नए पार्षद प्रक्रियाओं को समझने के लिए अपने 'वरिष्ठ सदस्यों' या स्थानीय राजनीतिक आकाओं पर निर्भर होते हैं, कुछ लोग इससे संतोष कर लेते हैं कि 'पहला कार्यकाल केवल संरचना को समझने के लिए होता है'। यह भी एक प्राथमिक कारण है कि पहली बार के पार्षदों द्वारा स्थानीय नागरिकों की समस्याओं को उठाने में मध्यस्थता की कमी रहती है।

स्कूली शिक्षा का मामला

बुनियादी शिक्षा तक पहुंच को किसी भी देश में सामाजिक सुरक्षा मंजिल का एक मूल तत्व माना जाता है। अहमदाबाद में, AMC को प्राथमिक शिक्षा के कार्यान्वयन का काम सौंपा गया है। इस उद्देश्य के लिए, AMC ने एक अलग समिति, प्राथमिक स्कूलों के प्रशासन के लिए स्कूल बोर्ड बनाया है। प्राथमिक विद्यालय चलाने के लिए समिति का 6.71 अरब रुपये का अलग से वार्षिक बजट है। समिति के सदस्यों को नगर निगम के पार्षदों द्वारा मनोनीत किया जाता है। स्कूल प्रबंधन समितियों (SMC) के माध्यम से पार्षद स्कूलों के कामकाज में सीधे शामिल होते हैं। पार्षदों में अपनी जिम्मेदारियों की जागरूकता और इन भूमिकाओं की क्षमता अलग-अलग पाई गई। हालांकि, स्कूली शिक्षा में अपनी भूमिका के बारे में अच्छी तरह से जानकार होने के बावजूद, लगभग सभी पार्षद अपनी प्राथमिक भूमिका पानी, स्वच्छता और सड़कों तक सीमित रखते हैं। सरकारी स्कूलों और आंगनवाड़ी के मुद्दों के बारे में जागरूक पार्षद सरकारी स्कूलों और आंगनवाड़ी के लिए छिटपुट, टुकड़े-टुकड़े मध्यस्थता करते हैं। उनमें से कुछ RTE अधिनियम के तहत निजी स्कूलों में प्रवेश के लिए जागरूकता अभियान में भाग लेते हैं या आयोजित करते हैं।

सभी पार्षदों ने बताया कि बच्चों के विशिष्ट कार्यक्रमों और नीतियों के कार्यान्वयन के संबंध में उनका प्राथमिक कार्य है जागरूकता पैदा करना और यह सुनिश्चित करना कि लोगों के पास आवश्यक दस्तावेज हों। नीतियों और कार्यक्रमों के बारे में जानकारी के अभाव से मध्यस्थता की भूमिका और भी सीमित हो जाती है। कई पार्षद बताते हैं कि सूचना के उनके प्राथमिक स्रोत नागरिक हैं, जो मदद के लिए, अक्सर आवश्यक दस्तावेज प्राप्त करने के लिए उनसे संपर्क

करते हैं। अपवाद नीतियां होती हैं जो उस राजनीतिक दल के मुख्य एजेंडे का हिस्सा हैं जिनसे वे संबद्ध हैं। ऐसे मामलों में, पार्षद पार्टी मीटिंग के माध्यम से जानकारी प्राप्त करते हैं। औपचारिक संस्थागत तंत्र की कमी को देखते हुए विपक्षी पार्षदों ने जो बताया उसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि राज्य प्रायोजित योजनाओं के बारे में जानकारी प्राप्त करने में उन्हें कठिनाई होती है। हालांकि, राजनीतिक संबद्धता के बावजूद, सामाजिक कार्यक्रमों और नीतियों के कार्यान्वयन में पार्षदों की संस्थागत भूमिका, अंततः काफी हद तक शिकायतों को आगे बढ़ाने और दस्तावेजों को तैयार करने में सहायता करने के माध्यम तक ही सीमित रहती है। जब असाधारण मामले उठते हैं, तो वे पार्षदों की स्वेच्छा और प्रेरणा से उभरते प्रतीत होते हैं, क्योंकि वे अक्सर महिला पार्षदों के मामले में होते हैं।

राष्ट्रीय कानून के अनुसार, महिलाओं के लिए 50 प्रतिशत सीटें आरक्षित हैं। हमारे नमूने में, हम उन्हें पुरुष पार्षदों की तुलना में महिलाओं और बच्चों से संबंधित मुद्दों में अधिक शामिल पाते हैं, जो मुख्य रूप से ज्यादातर आधारभूत संरचना के मुद्दों पर ही काम करना चाहते हैं। हालांकि, ज्यादातर महिला पार्षदों ने सूचित किया कि उन्हें अधिकारियों, पार्टी के साथी पुरुषों और यहां तक कि जिन नागरिकों का प्रतिनिधित्व करती हैं उनसे भेदभाव का सामना करना पड़ता है, जिससे प्रभावी ढंग से काम करने की उनकी क्षमता सीमित हो जाती है।

कुछ प्रमुख सिफारिशें इस प्रकार हैं:

- 1) क्षमता में वृद्धि की आवश्यकता: प्रभावी विकेन्द्रीकृत नीति कार्यान्वयन के लिए नगर पार्षदों के प्रशिक्षण में उचित प्रशिक्षण कार्यक्रमों के साथ व्यवस्थित ज्ञान उन्नयन में अधिक निवेश की आवश्यकता है। नगर पार्षदों के लिए अपने मतदाताओं की जरूरतों और मांगों का पर्याप्त प्रतिसाद देने के लिए निरंतर कौशल उन्नयन कार्यक्रमों की आवश्यकता है।
- 2) सार्थक विकेन्द्रीकरण के लिए संस्थागत मजबूती: भारतीय ULB में प्रचलित दो संरचनाएं हैं जिनका अभी तक एक दूसरे के साथ समन्वय नहीं है। स्थायी और विशेष समितियों और अन्य अर्ध-सरकारी एजेंसियों के साथ पूर्व ULB संरचना और 74वें CAA के अनुसार वार्ड समितियों और जिला नियोजन समितियों वाली नई विकेन्द्रीकृत संरचना एक-दूसरे से बात नहीं कर रही

है। कार्यात्मक जिम्मेदारी बड़े पैमाने पर वैधानिक और विशेष समितियों के पास निहित है, उनके सदस्यों ने विशेषाधिकार प्राप्त संस्थागत पदों पर कब्जा कर लिया गया है। दूसरी तरफ, 74वें CAA के तहत बनाए गए संस्थान, वार्ड समितियां, क्षेत्र सभाएं और जिला योजना आयोग बिना किसी कार्यात्मक और राजकोषीय अधिकारों के अनौपचारिक और नाम के लिए रहते हैं। चूंकि ये सांविधिक और विशेष समितियां नीति बनाने और कार्यान्वयन में महत्वपूर्ण हैं, इसलिए राजनीतिक दल अक्सर समिति सदस्यता का उपयोग इनाम तंत्र के रूप में करते हैं। यदि विकेन्द्रीकरण एजेंडा का सार्थक तरीके से पालन किया जाना है, तो वार्ड समितियों की भूमिका और अधिकार, और क्षेत्र सभा को औपचारिक और उन्नत करने की आवश्यकता है। केवल तभी नागरिक भागीदारी और सामुदायिक भागीदारी वास्तविकता बनेगी और क्षेत्र सभा जैसे संभावित सहभागिता स्थल सार्वजनिक उत्तरदायित्व को बढ़ावा देने के तंत्र के रूप में कार्य करेंगे।

- 3) महिला पार्षदों के प्रति उदासीनता को दूर करना: महिला पार्षद सामाजिक परिवर्तन की वाहक हो सकती हैं। हालांकि, नीति बनाने और मध्यस्थता में महिला पार्षदों के लिए जगह निर्धारित करने की आवश्यकता है। हमारे निष्कर्ष बताते हैं कि महिला पार्षद आम तौर पर महिलाओं और बच्चों से संबंधित सामाजिक मुद्दों के करीब हैं और संभावित रूप से सामाजिक सुरक्षा रणनीतियों की समर्थक बन सकती हैं। आरक्षण से पहले पहले से ही सत्ता से बाहर रखे गये समूहों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों की आवश्यकता है (हासिम, 2014)। इसके अलावा, साहित्य में महिलाओं की क्षमता निर्माण के लिए विशिष्ट प्रशिक्षण कार्यक्रमों की आवश्यकता भी स्थापित की गई है। इन कार्यक्रमों को, एक तरफ, महिलाओं से संबंधित मुद्दों को उठाने के लिए महिला परिषदों की क्षमता में वृद्धि करने की आवश्यकता है, और दूसरी ओर, इससे महिलाओं के लिंग पदानुक्रम और महिलाओं की अधीनता को चुनौती देने में मदद मिलेगी (जैकीमोव, 2017)। हमारे निष्कर्ष पुरुष पार्षदों के लिए विशिष्ट कार्यक्रमों के लिए इस आवश्यकता का समर्थन करते हैं, उनके दृष्टिकोण में परिवर्तन के लिए उन्हें संवेदनशील बनाने की आवश्यकता है क्योंकि आरक्षण के बाद अब और अधिक महिलाएं सिस्टम में काम कर रही हैं। ■

गुजरात में विद्या लक्ष्मी योजना का कार्यान्वयन: अहमदाबाद से क्षेत्र आधारित गहन जानकारी

कई विकासशील देशों में विशेष रूप से बालिका के लिए सशर्त नकद अंतरण (CCT) बच्चों के लिए स्वास्थ्य और शिक्षा के परिणामों में सुधार के लिए एक महत्वपूर्ण साधन के रूप में उभरा है। भारत कोई अपवाद नहीं है। हालांकि, इन योजनाओं की सफलता मिश्रित रही है और यह लागू की जा रही परिस्थितियों और विशिष्ट परिचालन विवरण पर गंभीर रूप से निर्भर होती हैं। उनके कार्यान्वयन में कई चुनौतियों को विशेष रूप से विकासशील देशों के संदर्भ में प्रकाश डाला गया है।

गुजरात सरकार ने स्कूलिंग परिणामों में सुधार की उम्मीद में पिछले दो दशकों में CCT का उपयोग करके कई योजनाएं शुरू की हैं। प्रगति के बावजूद, हाल के सर्वेक्षणों से पता चलता है कि गुजरात में उच्च प्राथमिक और माध्यमिक चरणों में स्कूल बीच में छोड़ने (ड्रॉपआउट) की दर राष्ट्रीय औसत से अधिक है। प्राथमिक शिक्षा स्कूलों में नामांकित लड़कियों की उच्च ड्रॉपआउट दर से निपटने के लिए गुजरात के शिक्षा विभाग द्वारा ऐसी एक योजना, विद्या लक्ष्मी योजना (VLY) 2002 में शुरू की गई थी। वर्तमान में, शहरी क्षेत्रों में गरीबी रेखा (BPL) के नीचे वाले परिवारों की लड़कियां और 35 प्रतिशत से कम महिला साक्षरता वाले गांव से संबंधित लड़कियां सरकारी स्कूल में प्रवेश के समय 2000 रुपये का बांड प्राप्त करने की पात्र हैं। यह बांड उस साल पकता है जिस साल बच्ची को 8वीं कक्षा पास कर लेना होता है और ब्याज के साथ बांड की राशि बच्चे के परिवार को इस शर्त पर सौंपी जाती है कि बच्ची 8वीं कक्षा पास कर लेगी।

हालांकि पॉलिसी की शुरुआत के समय से ड्रॉपआउट की संख्या में उल्लेखनीय गिरावट आई है, लेकिन यह स्पष्ट नहीं है कि इसके लिए VLY को कितना श्रेय दिया जा सकता है, खासतौर से जब उसी अवधि में लड़कों में ड्रॉपआउट दर बढ़ गई थी। VLY की शुरुआत के बाद से, इसमें इसकी पात्रता मानदंड, कार्यान्वयन की संरचना और बजट आवंटन के संबंध में कई संशोधन और पुनरावृत्तियां की गई हैं। 2013 में नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (CAG) कार्यालय द्वारा प्रशासन और वित्त संबंधी मुद्दों पर लेखा परीक्षा के अलावा, लक्षित समूह के बीच परिचालन विवरण, प्रशासनिक संरचना, और पहुंच और जागरूकता के बारे में बहुत कुछ पता नहीं है। CAG

रिपोर्ट और भारतीय संदर्भ में CCT के कार्यान्वयन का अध्ययन करने वाले पूर्व साहित्य, विशेष रूप से सफल कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक संरचनाओं और प्रक्रियाओं में कमियों को उजागर करने वाले कई प्रश्न और विषय उभरे हैं। इस योजना को अपने इच्छित परिणामों को प्राप्त करने और अपने उद्देश्यों को पूरा करने के लिए, यह जरूरी है कि इस योजना को उसी रूप में लागू करने के लिए कई प्रक्रियाएं और गतिविधियां शामिल की जाएं।

इस अध्ययन में, हम अहमदाबाद शहर में कार्यक्रम की प्रक्रियाओं और क्षेत्रीय अनुभव की जांच करते हैं। यह क्षेत्र अध्ययन अहमदाबाद शहर तक ही सीमित है, फिर भी हम इस योजना के समग्र कार्यक्रम डिजाइन का भी विश्लेषण करते हैं। माध्यमिक स्रोतों - सरकारी दस्तावेज, वेबसाइटों पर उपलब्ध जानकारी, समाचार स्रोत और योजना से संबंधित शैक्षिक कार्य - का उपयोग करके हम वर्तमान नियमों और योग्यता मानदंडों के औचित्य का अध्ययन करते हैं। इसके अलावा, हम सार्वजनिक रूप से उपलब्ध बजट दस्तावेजों के विश्लेषण से उभरने वाले प्रश्नों को उजागर करते हैं।

क्षेत्र के अध्ययन के लिए, हमने योजना के कार्यान्वयन को प्रभावित करने वाले विभिन्न हितधारकों से मुलाकात की। इनमें अहमदाबाद के विभिन्न इलाकों के स्कूल प्रिंसिपल, पर्यवेक्षकों के साथ-साथ संभावित लाभार्थी शामिल हैं। विभिन्न हितधारकों के साथ बातचीत के द्वारा हमने निम्नलिखित को समझने की कोशिश की है:

ए) कार्यान्वयन की प्रक्रियाएं

बी) कार्यान्वयन करने वाले हितधारकों की परिचालन चुनौतियां

सी) लाभार्थियों/पात्र परिवारों तक पहुंच में बाधाएं

हमारे क्षेत्र की बातचीत ने अध्ययन क्षेत्र में संभावित लाभार्थियों में जागरूकता की काफी कमी का सुझाव दिया है। वरिष्ठ स्कूल प्रशासकों के साथ-साथ प्रिंसिपल के साथ साक्षात्कार लाभार्थी परिवारों की पहचान करने, बॉन्ड को समय पर जारी करने, पकने तक बांडधारकों को ट्रैक करने और परिवारों को वादा किए गए बॉन्ड राशि को वितरित करने से संबंधित कई चुनौतियों का संकेत मिलता है। हमारे निष्कर्ष यह भी सुझाव देते हैं कि 2014 की CAG रिपोर्ट द्वारा इंगित कई चुनौतियां अभी भी बनी हुई हैं। इनमें अवितरित राशि और अलग-अलग जिलों या स्कूलों में प्रवास करने वाले परिवारों

को ट्रेक करने की अक्षमता के मुद्दे शामिल हैं। अहमदाबाद शहर में जारी बांडों की संख्या पर उपलब्ध आंकड़े यह भी बताते हैं कि लक्षित करना असंगत रहा है और हमारे सर्वोत्तम प्रयासों के बावजूद जारी किए गए बांडों की संख्या में घट-बढ़ काफी हद तक अस्पष्ट है।

हमारे अन्वेषण विश्लेषण के आधार पर हम जनादेश के कार्यान्वयन में सुधार के तरीकों का सुझाव देते हैं। हमारे सुझाव यह इस आवश्यकता से प्रेरित हैं कि सबसे वंचित परिवारों को शामिल किया जाए, सार्वजनिक निधियों के उपयोग में पारदर्शिता में वृद्धि हो और लक्षित बालिकाओं के लिए उच्च स्कूली शिक्षा हासिल करने के संदर्भ में परिणामों की बेहतर प्राप्ति हो। कुछ प्रमुख सुझाव इस प्रकार हैं:

- ए) जो गांव पात्र नहीं हैं उनमें BPL परिवारों को शामिल करके योग्यता मानदंडों का विस्तार करना और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए साक्षरता कट-ऑफ दर में वृद्धि करना
- बी) स्कूलों को सुनिश्चित करना कि परिवारों के प्रतिचित्रण के लिए वार्षिक नामांकन अभियान की शुरुआत, या ढांचा तैयार करने से पहले शहरी क्षेत्रों में संभावित लाभार्थियों (यानी BPL कार्ड धारकों) की सूची हो और बांड नामांकन प्रक्रिया से पहले जागरूकता फैलाई जाए

सी) परिवारों को बांड जारी करने के लिए समय अवधि का विस्तार (वर्तमान में केवल कक्षा 1 में नामांकन के समय जारी किया जाता है)

डी) लाभार्थी बच्चों की प्रगति को लंबी अवधि के दौरान ट्रेक करना सुनिश्चित करना ताकि अगर वे प्रवास करते हैं तो परिवारों को बॉन्ड की रकम मिले, और अगर परिवार सरकारी स्कूल छोड़ देते हैं तो बॉन्ड को समय पर रद्द किया जा सके

ई) स्कूल में जाते रहने का स्तर बढ़ाने के लिए, मौजूदा बॉन्ड धारकों को नाजुक चरणों में या बाहर निकलने का जोखिम बढ़ने पर परोक्ष दबाव डालना

एफ) संभावित लाभार्थियों और सक्रिय नागरिकों के लिए योजना के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी ऑनलाइन उपलब्ध कराना

कई समाचार रिपोर्टों ने सूचित किया है कि सरकारी अधिकारी इस योजना को लड़कियों की वंचितता को दूर करने और ड्रॉपआउट को कम करने के लिए एक सहायक कारक होने का दावा करते हैं। डेटा की कमी से इस योजना को ड्रॉपआउट में कमी का श्रेय देना मुश्किल है। इस योजना में निरंतरता या संशोधन सरकार द्वारा शुरू किए गए व्यवस्थित मूल्यांकन से सूचित किये जाने चाहिए।

अध्ययन किए गए नमूने के लिए ड्रॉपआउट कम करने के लिए योजना के योगदान पर प्रशासकों और लाभार्थियों की धारणाएं बताती



हैं कि यह ड्रॉपआउट को कम करने के अपने उद्देश्य को प्राप्त नहीं कर सकता है। इस योजना की लंबी परियोजना अवधि, जब लड़कियों को छोड़ने का सबसे अधिक जोखिम होता है उस समय राशि की अपर्याप्तता (उदाहरण के लिए - रोजी-रोटी कमाने वाले की मृत्यु, प्रवासन, भाई का जन्म), और सफल समापन पर धन प्राप्त करने की अनिश्चितता जैसे कई कारण उद्धृत किये गये थे। जैसा हमने पहले कहा कि इस धारणा के बारे में और अधिक अन्वेषण करने की आवश्यकता है।

इस अध्ययन के तहत, हम योजना के डिजाइन और कार्यान्वयन के संबंध में सराहनीय प्रथाओं की पहचान करते हैं और उन्हें सामने लाते हैं। इनमें साक्षरता के निम्न स्तर वाले क्षेत्रों में सार्वभौमिक कवरेज के

प्रावधान और कई बाधाओं और सीमाओं के बावजूद प्रिंसिपल और शिक्षकों द्वारा जागरूकता सुनिश्चित करने के बारे में किए गए प्रयास शामिल हैं।

लाभार्थी लक्ष्यीकरण और प्रशासनिक बाधाओं से संबंधित बड़े मुद्दों को ध्यान में रखना आवश्यक है, लेकिन इस बात को रेखांकित करना महत्वपूर्ण है कि यह अध्ययन योजना के शहरी भाग के कार्यान्वयन को, और केवल अहमदाबाद में समझने के लिए सीमित रही है। पात्र ग्रामीण क्षेत्रों, अन्य जिलों में और 2007 में पेश की गई योजना की अतिरिक्त शाखा के योजना के कार्यान्वयन के बारे में और अधिक अन्वेषण करने की आवश्यकता है जिसका लक्ष्य माध्यमिक स्कूल के ड्रॉपआउट हैं। ■

शिक्षा की गुणवत्ता:

निजी बनाम सरकारी स्कूलों के लिए माता-पिता की प्राथमिकताएं

पिछले दशक में भारत ने शिक्षा के निजीकरण में तेजी से वृद्धि देखी है, संभवतः सरकारी स्कूलों की कीमत (और बंद होने) पर (किंगडन, 2017; श्रीवास्तव, 2006; तिलक और सुदर्शन, 2001)। इस नामांकन और निजी स्कूलों की संख्या में वृद्धि (विशेष रूप से 'कम फीस वाले निजी स्कूल या LFP' से सरकारी स्कूलों में नामांकन में गिरावट आई है (किंगडन, 2017)। अन्य चीजों के अलावा, निजी स्कूलों के लिए वरीयता को इस संभावना के लिए जिम्मेदार ठहराया गया है कि निजी स्कूल सरकारी विकल्पों की तुलना में अच्छी गुणवत्ता वाले हैं। हालांकि, इसका आकलन करने वाले अध्ययन अपने निष्कर्षों में अनिश्चित हैं। हाल ही में, गुजरात राज्य (और दिल्ली सहित कई अन्य राज्यों) के लिए राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वे (NAS) 2018 आयोजित किया गया था। इसमें गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, अंग्रेजी और गुजराती विषयों में सरकारी स्कूलों के छात्रों का औसत प्रदर्शन निजी सहायता प्राप्त और गैर सहायता प्राप्त स्कूलों के छात्रों की तुलना में काफी अच्छा पाया गया।

स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता और लोगों के लिए भुगतान करने की इच्छा के बीच स्पष्ट सहसंबंध की कमी एक विरोधाभास है जिसे स्पष्ट करने की आवश्यकता है। इस विरोधाभास के लिए एक संभावित स्पष्टीकरण इस तथ्य में छिपा है कि स्कूली शिक्षा का 'अनुभव' अच्छा रहता है यानी गुणवत्ता केवल उपभोग करने के

'अनुभव' के बाद ही प्रकट होती है। हम अध्ययन करके इस स्पष्टीकरण का पता लगाते हैं कि निजी स्कूलों के लिए प्राथमिकता निजी और सरकारी स्कूलों की गुणवत्ता के बीच अंतर के बारे में गलत जानकारी रखने वाले माता-पिता की धारणाओं का परिणाम है। तुलनात्मक रूप से हम अध्ययन करते हैं कि माता-पिता सरकारी स्कूलों से इसलिए दूर हो गए हैं क्योंकि वे किसी एक सरकारी स्कूल की गुणवत्ता और सामान्य रूप से सरकारी स्कूलों के बारे में अपनी धारणाओं के बीच अंतर करने में विफल रहे हैं। दूसरे शब्दों में, हम इस सीमा की जांच करते हैं कि क्या 'सरकारी स्कूल' के साथ 'ब्रांड' की कोई समस्या है। इस प्रश्न का अध्ययन करने का महत्व इस तथ्य से लिया जा सकता है कि राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (NCERT) ने हाल ही में मार्च 2018 में विद्वानों को सरकारी स्कूलों की ब्रांडिंग के लिए विचार प्रस्तुत करने के लिए आमंत्रित किया था।

यदि निजी स्कूलों की पसंद माता-पिता की अपेक्षाओं पर खरी नहीं उतरती है, तो इसका मतलब घरेलू और सरकारी संसाधनों दोनों की बर्बादी होती है। यह इस प्रकार प्रासंगिक है कि न केवल माता-पिता की धारणाओं और पसंद में संभावित बेमेल का आकलन किया जाए, बल्कि सरकारी स्कूलों की प्रतिकूल धारणाओं को बदलने के तरीकों पर विचार भी विचार किया जाए।

निम्नलिखित उद्देश्यों ने हमारे शोध को निर्देशित किया है:

1. माता-पिता की पसंद की प्रक्रिया में स्कूल की किन विशेषताओं को मूल्यवान माना जाता है और वे इन गुणों पर अपनी पसंद के अनुसार स्कूलों का मूल्यांकन कैसे करते हैं?
2. माता-पिता स्कूलों के बारे में धारणा कैसे बनाते हैं, और वे किस प्रकार की सूचनाओं पर भरोसा करते हैं?
3. किसी विद्यालय के बारे में माता-पिता की धारणा तीसरे पक्ष की धारणाओं से कैसे मेल खाती है?
4. स्कूल अपनी धारणाओं को बदलने के लिए माता-पिता से कैसे बातचीत कर सकते हैं?

कार्य पद्धति

चयन प्रक्रिया परिवार के सामाजिक-सांस्कृतिक, आर्थिक और भौगोलिक वातावरण के लिए प्रासंगिक हो सकती है। इस कारण से, हमने संभावित रूप से तुलनात्मक चयन-सेट वाले परिवारों का नमूना लिया, और फिर उसी स्कूल में हमने जो देखा, उसके साथ माता-पिता की धारणाओं की तुलना की। उपलब्ध संसाधनों को देखते हुए, इन उद्देश्यों से यह संकेत मिलता है कि हम एक सीमित भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाले माता-पिता के साथ गहन अर्ध-संरचित साक्षात्कार करते हैं, जो इस मामले को केस अध्ययन के लिए इकाई के रूप में मानते हैं।

अहमदाबाद नगर निगम (AMC) में एक वार्ड में स्थित 'पड़ोस' (अध्ययन के लिए निर्मित चयनित स्थलचिह्न से 1 किमी त्रिज्या का भौगोलिक क्षेत्र) के परिवारों का नमूना लिया गया था। पड़ोस की संरचना स्कूल मानव संसाधन विकास मंत्रालय (MHRD), भारत सरकार द्वारा होस्ट, भौगोलिक सूचना प्रणाली (GIS) उपकरण का उपयोग करके, विभिन्न शिक्षा माध्यमों में चयनित स्थलचिह्न के 2 किमी त्रिज्या के भीतर सरकारी और निजी प्राथमिक विद्यालयों की उपलब्धता सुनिश्चित की गई थी।

इस पड़ोस के भीतर एक समुदाय प्रतिचित्रण के माध्यम से हम पांच क्षेत्रों की पहचान कर पाए थे जिसमें परिवारों को धर्म, जाति, वर्ग और व्यवसाय के आधार पर विभाजित किया गया था। निवास के विभिन्न क्षेत्रों में पारिवारिक वितरण और सामाजिक आर्थिक विशेषताओं को प्रतिचित्रण अभ्यास के माध्यम से समझा गया था। हमने 26 घरों का नमूना (ए) सामाजिक-आर्थिक विशेषताओं (मुख्य रूप से आय, निवास का क्षेत्र और सामाजिक समूह), (बी) चाहे उनके स्कूल जाने

वाले बच्चे हों या नहीं और (सी) क्या परिवार ने अपने बच्चे को सरकारी या निजी स्कूल में भेजा है के आधार पर लिया था।

स्कूल जाने वाली उम्र के बच्चों के माता-पिता (मुख्य रूप से माताएं) अध्ययन के लिए मुख्य उत्तरदाता थीं। उनके चयनित स्थलों से 1 किमी त्रिज्या के भीतर के परिवारों से नमूने लिए गए थे। हमने संरचित पड़ोस के भीतर परिवारों के साथ गहन साक्षात्कार किए थे। अपनी पसंद प्रक्रिया पर गहन साक्षात्कार के अलावा, साक्षात्कारों ने उन स्कूलों की पहचान करने में मदद की जिन्हें माता-पिता ने अपने बच्चों के लिए तय किया था। परिवारों के चयन-सेट के तहत निर्धारित स्कूलों में दिन भर का दौरा किया गया।

स्कूलों का चयन

कुल पांच सरकारी और पांच निजी स्कूलों का नमूना लिया गया। इनमें से केवल दो स्कूल पड़ोस से 2 किमी त्रिज्या से दूर थे। चयनित पांच सरकारी स्कूलों में से एक हिंदी माध्यम का विद्यालय था, दो गुजराती माध्यम वाले थे, और दो उर्दू माध्यम वाले विद्यालय थे। चयनित पांच निजी स्कूलों में से एक उर्दू माध्यम का था जबकि अन्य सभी गुजराती माध्यम वाले विद्यालय थे।

परिवारों के साक्षात्कार के बाद स्कूलों का नमूना लिया गया था, जिसके आधार पर परिवार साक्षात्कार और FGD के दौरान 'सर्वश्रेष्ठ', 'लोकप्रिय' या 'सबसे खराब' के रूप में पहचाना गया था। सबसे पहले, हमने इन श्रेणियों के आधार पर स्कूलों की सूची संकलित की। स्कूलों की पहचान हो जाने के बाद, हमने सुनिश्चित किया कि हमारे नमूने में सरकारी और निजी स्कूल समान संख्या में शामिल हों। हमारे नमूने में परिवार सहायता प्राप्त और गैर-सहायता प्राप्त निजी स्कूलों के बीच अंतर करने में असमर्थ थे और इस प्रकार उनके बीच कोई अंतर नहीं किया गया था।

इसके अतिरिक्त, प्राथमिकता उन स्कूलों को दी गई थी जिनमें हमारे नमूने वाले परिवार जा रहे थे। इस प्रकार, जिन स्कूलों को अधिकांश परिवारों द्वारा सबसे लोकप्रिय माना गया था, उनको नमूने में शामिल नहीं किया गया था क्योंकि नमूने वाला कोई भी व्यक्ति उन स्कूलों में नहीं जा रहा था।

विश्लेषण

चयन करने की प्रक्रिया को दस्तावेज करने और चयन को प्रभावित

करने वाले प्रमुख स्कूल-स्तर के गुणों की पहचान करने के अलावा, इस अध्ययन में स्कूलों के बारे में अभिभावकों की धारणाओं की तुलना उन स्कूलों के शोधकर्ता के तीसरे पक्ष के अवलोकनों से की गई। हमने जांच की कि क्या माता-पिता को उन स्कूलों के विभिन्न गुणों के बारे में गलत जानकारी मिली है, जिनमें उनके अपने बच्चे जाते हैं। दूसरा, हमने मूल्यांकन किया कि क्या माता-पिता को हमारे नमूने में सरकारी और निजी स्कूलों में स्कूल स्तर की विशेषताओं (उनके द्वारा दी गई प्राथमिकता) के बारे में गलत जानकारी दी गई थी। हम जिन स्कूलों में गए उनके मूल्यांकन के तहत प्रत्येक को स्कूल-स्तरीय विशेषता पर ग्रेड दिए गए थे, जिन्हें प्रत्येक स्कूल को समग्र स्कोर देने के लिए जोड़ा गया था। इस समग्र स्कोर की तुलना दस चयनित स्कूलों के बारे में परिवारों द्वारा किए गए आकलनों से की गई थी।

जाँच परिणाम

परिवारों ने बताया कि सूचना के उनके प्राथमिक स्रोत अनौपचारिक थे, यानी स्कूलों के भीतर व्यक्तिगत अनुभव, पड़ोसी, रिश्तेदार और समुदाय के अपने दोस्त। इसके अलावा, परिवारों ने स्कूल विपणन गतिविधियों से जानकारी प्राप्त करने का उल्लेख किया, और तीसरे स्रोतों या सामूहिक विचारों या लोकप्रिय राय से उत्पन्न होने वालों से प्रभावित पाए गए थे।

परिवारों ने 1) प्रबंधन प्रकार (सरकारी या निजी), 2) शिक्षा के माध्यम से प्राथमिक विद्यालय विशेषताओं के लिए वरीयताओं के आधार पर अपनी पसंद-सेट परिभाषित किया है, 3) परिवारों के निवास स्थल से स्कूल की दूरी, और 4) शिक्षण शुल्क (और अन्य शैक्षिक व्यय)। इन विशेषताओं पर प्राथमिकताएं परिवारों की सामाजिक आर्थिक बाधाओं पर निर्भर करती हैं, इस प्रकार परिवारों के चयन-सेट भी इस पर आधारित होते हैं।

जिन परिवारों का नमूना लिया गया था उनमें एक को छोड़कर सभी में निजी स्कूलों के लिए एक जबरदस्त प्राथमिकता देखी गई थी। वरीयता मुख्य रूप से इस धारणा के लिए जिम्मेदार थी कि निजी स्कूल सरकारी स्कूलों की तुलना में बेहतर गुणवत्ता वाले थे। कुछ परिवारों ने यह भी सूचित किया कि उनकी प्राथमिकता अधिकांश सरकारी संस्थानों के प्रति तिरस्कार, या निजी स्कूल में जाने से जुड़ी प्रतिष्ठा से प्रेरित हो सकती है। माता-पिता की जानकारी के अनौपचारिक और संभवतया पक्षपातपूर्ण स्रोतों पर निर्भरता जो निजी स्कूलों के लिए उनकी वरीयता को प्रभावित करती है, और इसके परिणामस्वरूप

उनके चयन-सेट का तय करना यह सूचित करता है कि चयन करने में गलत जानकारी होने की गुंजाइश है।

यह पूछे जाने पर कि स्कूल में वे किस स्कूल-स्तरीय आयामों को प्राथमिकता देते हैं (उनके द्वारा निर्दिष्ट प्रमुख निर्धारकों से परे), परिवारों ने बताया: स्कूलिंग माहौल, शिक्षक की कमी और अनुपस्थिति, जवाबदेही की कमी, और 'मिश्रित' या विविध लोगों की उपस्थिति (वर्ग, जाति और धर्म के आधार पर विभेदित)। निजी स्कूलों के लिए अपनी प्राथमिकता को उचित ठहराने के लिए इन विशेषताओं का भी उपयोग किया जाता था। अन्य विशेषताओं पर चर्चा की गई लेकिन प्राथमिकता नहीं दी गई (या केवल कुछ परिवारों द्वारा प्राथमिकता दी गई) उनमें बुनियादी ढांचे और सुविधाओं की उपलब्धता और उपयोग, और शिक्षक योग्यताएं थीं।

परिवारों द्वारा किए गए स्कूलों के मूल्यांकन की हमारे तीसरे पक्ष के मूल्यांकन से तुलना

यह मूल्यांकन करने के लिए कि क्या परिवारों को उन स्कूलों की किसी भी विशेषता के बारे में गलत जानकारी दी गई थी, जिनमें उनके बच्चे जाते थे, हम पाते हैं कि तीन निजी स्कूलों और दो सरकारी स्कूलों में नामांकित बच्चों वाले परिवारों (आठ स्कूलों में से जहां नमूने वाले परिवार जाते थे) को अपने स्कूलों के बारे में विवरण देते समय गलत सूचना नहीं दी गई थी। हालांकि, तीन स्कूलों (दो सरकारी और एक निजी) में जाने लेने वाले छह परिवारों को अपने स्कूलों के बारे में विभिन्न पहलुओं के बारे में गलत जानकारी दी गई थी। गलत जानकारी स्कूल के विभिन्न गुणों के बारे में थी। इनमें शामिल हैं: अभिभावक-शिक्षक बैठकों का आयोजन और उनकी अवधि, छात्र निकाय की विविधता, स्कूल बुनियादी ढांचे की सफाई, और समय सारिणी का उपयोग।

स्कूलों के स्तर के गुणों के आधार पर स्कूलों का मूल्यांकन करते समय क्या परिवारों को गलत तरीके से सूचित किया गया था, जो उनकी पसंद को प्रभावित करते थे (ऊपर सूचीबद्ध), हमने पाया कि उन्हें केवल दो स्कूल विशेषताओं के बारे में गलत जानकारी मिली थी। हमारे स्वतंत्र मूल्यांकन के आधार पर हम निर्णायक रूप से नहीं कह सकते कि 1) निजी स्कूलों में स्कूली शिक्षा वातावरण के सभी पहलू सरकारी स्कूलों की तुलना में बेहतर हैं, और 2) क्या निजी स्कूलों की तुलना में सरकारी स्कूलों में छात्र निकाय कम वांछनीय (कुछ निर्धारित संकेतकों पर) था, जैसा कि परिवारों द्वारा सुझाया

गया था। इसके अलावा, परिवारों ने गलत तरीके से यह मान लिया था कि सभी निजी स्कूलों की तुलना में सभी सरकारी स्कूलों की गुणवत्ता खराब है। यह शोधकर्ताओं द्वारा उन्हीं स्कूलों को दिए गए समग्र ग्रेड की तुलना में, दस चयनित स्कूलों में परिवारों द्वारा दिए गए ग्रेड के बीच एक विसंगति में आगे दिखाई देता था।

सरकारी स्कूलों के बारे में माता-पिता की प्रतिकूल धारणाओं को बदलने के लिए सुझाव

इस रिपोर्ट में कई प्रणालीगत मुद्दों का प्रमाण मिलता है जिन पर लंबे समय से सरकारी स्कूल प्रणाली के मुद्दों के संदर्भ में चर्चा की गई है। इनमें शिक्षक की कमी के मुद्दे, गैर-शिक्षण कार्य का बोझ, प्रिंसिपल के अधिकार की कमी और शिक्षकों पर प्रशासक, और समावेश का मुद्दा शामिल है। हालांकि, यह अध्ययन स्कूलों के ऐसे आयामों पर केंद्रित है जिन्हें सरकारी स्कूल अपने स्तर पर बदल सकते हैं ताकि लोगों की सरकारी स्कूलों के बारे में प्रतिकूल धारणाओं को बदला जा सके।

हमारे सुझाव परिवारों द्वारा प्राथमिकता प्राप्त स्कूलों के आयामों और निजी स्कूलों के लिए उनकी वरीयता को प्रभावित करने पर आधारित हैं। इसके अलावा, वे मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम, 2009 के दिशानिर्देशों के अनुसार हैं जिससे उन्हें आसानी से लागू किया जा सकता है।



ए. महत्वपूर्ण जानकारी साझा करके स्कूलों में अभिभावकों की भागीदारी को प्रोत्साहित करना

1. बालक की प्रगति, और माता-पिता जिन स्कूल गुणों को प्राथमिकता देते हैं उनमें स्कूल के प्रदर्शन के बारे में जानकारी साझा करना
2. बैठकों का समय सुविधाजनक हो और परिवार के अन्य सदस्यों को उपस्थित होने की इजाजत देकर, प्रत्येक माता-पिता के साथ अभिभावक-शिक्षक की आमने-सामने की बातचीत आयोजित करना और प्रोत्साहित करना
3. स्कूल के प्रति माता-पिता का उत्तरदायित्व बढ़ाना
 - ए. विद्यार्थियों को अनुशासन में रखने के उपायों का पालन करना- यह सुनिश्चित करना कि उनके बच्चे समय पर, स्कूल ड्रेस में स्कूल आएँ, स्कूल की समय-सीमा का पालन करें।
 - बी. सुरक्षा उपायों का पालन करना - बच्चे की अनुपस्थिति के बारे में स्कूल को सूचित करने पर सहयोग करना।
 - सी. शिक्षकों के साथ बातचीत में भागीदारी
 - डी. बच्चे के प्रदर्शन और प्रगति की निगरानी में भागीदारी

बी. सरकारी स्कूलों की शिक्षा के माहौल में सुधार करने के उपाय

1. विद्यालय समय के दौरान स्कूल परिसर में आने और जाने को प्रतिबंधित करना

- ए. दोपहर के समय में जाने वाले छात्रों को कक्षाओं के लिए स्कूल में आना सुनिश्चित करना
- बी. छात्रों को शाम को घर जाने के बारे में सख्त नियम
- सी. सुनिश्चित करें कि नियुक्त सुरक्षा गार्ड द्वार पर दिखाई दे, और अपने कर्तव्यों का पालन करे
- डी. स्कूलें आपात स्थिति या मुद्दों के बारे में माता-पिता से संपर्क करना सुनिश्चित करें
2. छात्रों को अधिक अनुशासित बनाना
- ए. एक समय सारिणी का उपयोग करना
- बी. अनुपस्थिति के मामले में छात्रों और उनके माता-पिता को सीमित छूट देना
- सी. 'प्रगति ट्रेकर' नोटबुक का उपयोग करें
3. स्कूलों की जवाबदेही बढ़ाने के उपाय
- ए. शिक्षक का आकलन माता-पिता को व्यक्तिगत रूप से बताया जाना चाहिए, उस बारे में जो करना हो उसे बताना चाहिए
- बी. माता-पिता को एक समर्पित चैनल के बारे में पता होना चाहिए और जिसके माध्यम से वे शिक्षकों के खिलाफ शिकायत दर्ज कर सकें

सी. स्कूलों में बुनियादी ढांचे और सुविधाओं द्वारा दी जाने वाली अतिरिक्त सुविधाओं पर जोर देने के उपाय

1. प्रशासन को ऐसे मुद्दों को हल करना चाहिए जिन्हें सरकारी स्कूलों को आधारभूत संरचना और सुविधाओं का उपयोग करने में सामना करना पड़ता है।
2. बच्चों के स्कूली शिक्षा और सीखने के अनुभव को बढ़ाने के लिए संसाधनों का उपयोग करना

डी. विपणन (मार्केटिंग) सामग्री

सरकारी स्कूलों द्वारा उपयोग की जाने वाली जिन मार्केटिंग सामग्री (पुस्तिकाएं और फ्लायर) को हमने देखा है उनमें स्कूलों के वे आयाम शामिल नहीं थे जिन्हें परिवारों ने प्राथमिकता दी थी। यह विद्यालयों द्वारा प्राथमिकता वाले गुणों को उजागर करने वाली मार्केटिंग सामग्री को पुनः स्थापित करने में स्कूलों की सहायता कर सकता है। इसके अलावा वे शहर और राज्य में सरकारी स्कूली शिक्षा प्रणाली की सफलताओं को उजागर करने के लिए मीडिया का उपयोग कर सकते हैं। जैसे राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण 2018 के नतीजे जिनमें सभी पांच परीक्षण विषयों - गणित, गुजराती, अंग्रेजी, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान में सरकारी स्कूलों के छात्रों ने निजी स्कूलों के छात्रों को मात दी थी। ■



‘दो बालक की नीति’

प्रजनन विकल्प पैरवी (Advocating Reproductive Choices - ARC) द्वारा सांसदों को लिखा खुला पत्र

नई दिल्ली, 20 अगस्त 2018

सेवा में
माननीय सांसद
भारत सरकार
नई दिल्ली

दो बालक की नीति राष्ट्रीय हित के खिलाफ है, मौलिक मानवाधिकारों और हमारे संविधान के बुनियादी सिद्धांतों का उल्लंघन करती है

आदरणीय महोदय/महोदया,
13 अगस्त 2018 को, भारत के राष्ट्रपति को दो बालक की कठोर नीति को लागू करने के लिए एक याचिका प्रस्तुत की गई, जिसमें कथित रूप से 125 सांसदों ने हस्ताक्षर किए थे, जिसमें प्रस्तावित दो-बच्चों के मानदंड के माध्यम से सरकार से भारत की उच्च जनसंख्या वृद्धि दर को नियंत्रित करने वाले कदमों को उठाने को कहा गया था।

हम प्रजनन विकल्प पैरवी (ARC) गठबंधन में इस अच्छे इरादे वाली लेकिन अस्पष्ट पहल से चिंतित हैं जो हमारे राष्ट्रीय हितों और विकास प्राथमिकताओं के लिए हानिकारक है। यहां कुछ साक्ष्य प्रस्तुत किए जा रहे हैं जिनसे पता चलेगा कि दो बच्चों के मानदंड को कठोर, पिछड़ा और जन विरोधी क्यों माना जाता है।

भारत की जनसांख्यिकी और जनसंख्या वृद्धि के बीच परस्पर संबंध

भारत में जनसंख्या वृद्धि धीमी हुई है, प्रजनन दर में गिरावट आई है, औसत आयु बढ़ी है और काम करने वाली आबादी में वृद्धि हुई है। चौथा राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 2015-16 (NFHS 4) का डेटा इंगित करता है कि भारत में 24 राज्यों ने प्रतिस्थापन स्तर

प्रजनन क्षमता हासिल कर ली है। पिछले दशक में, भारत की कुल प्रजनन दर (TFR) 2.7 से 2.2 हो गई है, जो वांछित प्रतिस्थापन स्तर प्रजनन क्षमता 2.1 के काफी करीब है। हालांकि, उत्तर भारत के पांच राज्यों: बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश का आबादी में योगदान 40 प्रतिशत है और इन राज्यों के भीतर भी जिला स्तर पर कुल प्रजनन दर में बड़ी असमानताएं हैं। आबादी में वृद्धि के लिए आगे दिए कुछ कारक ध्यान देने योग्य हैं:

- चूंकि काफी युवा आबादी बच्चे पैदा करने वाली आयु में है, अतः जनसंख्या की गति अनुमानित आबादी वृद्धि से 70 प्रतिशत अधिक होगी। हर जोड़े के एक ही बच्चा हो तो भी संपूर्ण संख्या में वृद्धि जारी रहेगी। इस गति को धीमा करने का एकमात्र तरीका देरी से शादी करना, पहले गर्भधारण में देरी करना और जन्म के बीच अंतर सुनिश्चित करना है।
- गर्भनिरोधक की पूर्ति में 13 प्रतिशत की कमी है। इसका मतलब है कि प्रजनन आयु वाली 30 मिलियन से ज्यादा विवाहित महिलाओं को गर्भनिरोधक (NFHS-4) नहीं मिल पा रहे हैं।
- लगभग 10 प्रतिशत अनुमानित जनसंख्या वृद्धि के लिए सामाजिक कारकों को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है, जिनमें उच्च शिशु मृत्यु दर, पितृसत्तात्मक सामाजिक मानदंडों के कारण पुत्र को प्राथमिकता आदि के कारण परिवार वास्तव में जितना चाहते हैं उससे अधिक बच्चे पैदा करना शामिल है।

भारत के अनुभव बताते हैं कि कठोर नीतियां कभी सफल नहीं हुई हैं

दो-बच्चों के मानदंड की प्रभावी रहने के कोई सबूत नहीं है। उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे राज्यों में इसी तरह की नीतियां वांछित स्तर पर प्रजनन दर को कम करने में नाकाम रही हैं। दूसरी तरफ, लिंग-चयन और असुरक्षित गर्भपात में भारी वृद्धि हुई है; पुरुषों ने स्थानीय चुनाव के लिए अपनी पत्नियों को त्याग दिया है, और परिवार बच्चों को गोद दे देते हैं। (बुच 2005)

यहां ध्यान देना महत्वपूर्ण है कि केरल, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु

जैसे राज्यों में बिना किसी कठोर तरीकों के प्रजनन दर में उल्लेखनीय कमी आई है। यह महिलाओं को सशक्त बनाने और बेहतर शिक्षा और स्वास्थ्य देखभाल सुविधाएं प्रदान करके हासिल किया गया है।

वैश्विक सीख जो हमें प्रेरित कर सकती हैं। आइए हम वही गलती फिर से न दोहराएं।

चीन की एक बालक नीति की वजह से यह देश अब आबादी संकट का सामना कर रहा है, और असंतुलित आयु संरचना और लिंग अनुपात की ओर बढ़ रहा है। 2015 में, चीन को इस नीति को वापस लेना पड़ा था।

दक्षिण कोरिया ने बुढ़ाती आबादी, सामाजिक सुरक्षा और स्वास्थ्य देखभाल की बढ़ती लागत और घटती श्रम शक्ति के परिणामों का अनुभव करने के बाद 2020 तक TFR को 1.08 से 1.6 तक बढ़ाने के लिए बाल-समर्थक (नेटलिस्ट) नीति लागू की है (महमूदी 2017)।

श्रीलंका तीन दशकों तक मातृ और शिशु स्वास्थ्य कार्यक्रमों के साथ परिवार नियोजन को एकीकृत करके और बांग्लादेश गांवों में टीकाकरण, प्रसव से पूर्व और प्रसव के बाद की देखभाल के द्वारा शिशु, बच्चे और मातृ मृत्यु दर को कम करके अपनी प्रजनन दर को कम कर सका है (एबीकून 2011), (रिज़वी 2018)।

दो बालक मानदंड पिछड़ों विशेष रूप से महिलाओं का उत्पीड़न करता है, उनके प्रजनन अधिकारों का उल्लंघन करता है दो बच्चों की नीति को थोपना सबसे गरीब, कमजोर और सबसे पिछड़े, विशेष रूप से महिलाओं को और अधिक वंचित बना देगा। स्थानीय निकायों के चुनाव लड़ने के लिए पुरुषों द्वारा अपने परिवारों को त्यागने और बच्चों को गोद देने के लिए त्यागने के प्रमाण हैं। बच्चों की बिना किसी गलती के उनके हकों और अधिकारों से इनकार किया जाता है। स्थानीय निकायों में महिला प्रतिनिधियों की संख्या भी कम हो गई।

पुत्र चाहत के संदर्भ में बदलते सामाजिक मानदंडों को देखते हुए, प्रतिबंधित नीतियों की वजह से लिंग-चयन गर्भपात और कन्या

भ्रूणहत्या में भारी वृद्धि हुई है। आर्थिक सर्वेक्षण 2017-18 में भारत में 21 मिलियन 'अनचाही लड़कियों' का उल्लेख है।

परिवार नियोजन निर्णयों को तय करने वाले सामाजिक मानदंडों को हल करने में विफलता से महिलाओं के प्रजनन अधिकारों का उल्लंघन होगा, और इससे लिंग अनुपात में और अधिक असंतुलन हो जाएगा। हरियाणा और पंजाब जैसे राज्यों में दो-बालक नीति के परिणाम स्वरूप अत्यधिक लिंग विषमता पैदा हुई है जिसमें पुरुषों की तुलना में महिलाओं की संख्या कम है। इसके नतीजों में महिलाओं को जबरदस्ती यौन व्यापार, दासता में धकेला जाना; शारीरिक दुर्व्यवहार और अंततः परित्याग करना शामिल है।

दो बालक मानदंड बुनियादी मानवाधिकारों और हमारे संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन करता है

भारत कार्यवाही कार्यक्रम, जनसंख्या और विकास पर अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन (ICPD, 1994) का हस्ताक्षरकर्ता है। कार्यवाही कार्यक्रम में कहा गया है कि 'परिवार नियोजन कार्यक्रमों का उद्देश्य जोड़ों और व्यक्तियों द्वारा अपने बच्चों की संख्या और अंतर को स्वतंत्र रूप से और जिम्मेदारी से तय करना चाहिए और ऐसा करने और सूचित विकल्प सुनिश्चित करने के लिए सूचना और साधन होने चाहिए और सुरक्षित और प्रभावी तरीकों की पूरी श्रृंखला उपलब्ध करानी चाहिए। ... परिवार नियोजन कार्यक्रमों की लंबी अवधि की सफलता के लिए सूचित स्वतंत्र विकल्प का सिद्धांत आवश्यक है। किसी भी प्रकार की जबरदस्ती के लिए कोई जगह नहीं है।'

भारत की अपनी राष्ट्रीय जनसंख्या नीति (NPP) का एक निर्दिष्ट उद्देश्य है 'गर्भनिरोधक, स्वास्थ्य देखभाल बुनियादी ढांचे, और स्वास्थ्य कर्मियों के अभाव को पूरा करना और बुनियादी प्रजनन और बाल स्वास्थ्य देखभाल के लिए एकीकृत सेवा प्रदान करना'। NPP में 'प्रजनन स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं का लाभ उठाने के दौरान स्वैच्छिक और सूचित विकल्प और नागरिकों की सहमति और परिवार नियोजन सेवाएं प्रदान करने में लक्ष्य मुक्त दृष्टिकोण की निरंतरता के प्रति प्रतिबद्धता शामिल है'।

नागरिकों के सूचित विकल्प और निर्णयों को रोकने वाले कोई भी कठोर मानदंड या उपाय बुनियादी मानवाधिकारों के सिद्धांतों का उल्लंघन करते हैं।

जनसंख्या वृद्धि एक सामाजिक-आर्थिक समस्या है; इसका समाधान भी सामाजिक-आर्थिक ही होना चाहिए

भारत में जनसंख्या वृद्धि पूरी तरह से शिक्षा की कमी, स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं मिल पाने और परिवार नियोजन सेवाओं की अपूर्ण जरूरतों की वजह से है। हमारी अधिकांश आबादी प्रजनन आयु में है और प्रजनन आयु वाली 30 मिलियन विवाहित महिलाओं को गर्भनिरोधक तक नहीं मिल पा रहे हैं।

ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में महिलाएं केवल एक या अधिकतम दो बच्चे (NFHS-4, कुल वांछित प्रजनन दर 1.8 है) पैदा करना चाहती हैं। जब उन्हें पता ही है कि क्या करना है, तो उन पर पॉलिसी थोपने के बजाए सक्षम और सशक्त बनाने वाला माहौल क्यों नहीं दिया जाता ताकि वह उनके विकल्पों को समझने में मदद कर सके? किफायती और गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करके मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर में कमी से जनसंख्या वृद्धि में अपने आप कमी आएगी।

हम माननीय सांसदों से हमारे देश के जनसांख्यिकीय संक्रमण और विकास के बीच अटूट संबंधों पर विचार करने की अपील करते हैं। भारत में 24 राज्य बिना किसी कठोर तरीकों के प्रतिस्थापन स्तर प्रजनन क्षमता हासिल कर चुके हैं। जनसंख्या गति को कम करने

वाला सबसे शक्तिशाली उपाय लड़कियों को स्कूल भेजना और उनकी शादी की उम्र बढ़ाना है। यह महिलाओं को सकारात्मक प्रजनन विकल्प तय करने की क्षमता के साथ ही सशक्त बनाने में मदद करेगा।

हम आपसे हमारे नागरिकों, विशेष रूप से महिलाओं की विकास आवश्यकताओं को प्राथमिकता देने का आग्रह करते हैं। एक स्वस्थ, संतुलित आबादी के लिए सफल समाधान परिवार नियोजन सेवाओं में महिलाओं की पहुंच, गुणवत्ता शिक्षा में सुधार, युवाओं के बीच यौन और प्रजनन जागरूकता पैदा करना और महिलाओं को आजीविका का अवसर प्रदान करना है।

हमारा मानना है कि इस मुद्दे के गहन विश्लेषण और समझने की आवश्यकता है और हमें आशा है कि संसद के हमारे माननीय सदस्यों से की गई इस अपील से जनसंख्या और प्रजनन स्वास्थ्य अधिकारों पर जानकारी के साथ स्वस्थ बहस होगी।

दो बालक मानदंड कभी भी कहीं भी सफल नहीं हुआ है। आइए आखिरी बार इस कठोर धारणा को त्यागें!

सधन्यवाद

एकजुटता में

प्रजनन विकल्प पैरवी (Advocating Reproductive Choices - ARC) के बारे में:

प्रजनन विकल्प पैरवी (ARC) लगभग 170 नागरिक समाज संगठनों और व्यक्तियों का गठबंधन है जो भारत में यौन और प्रजनन स्वास्थ्य समस्याओं और परिवार नियोजन सेवाओं पर अधिक ध्यान देने और जोर देने की पैरवी करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। 2005 में स्थापित इस गठबंधन का उद्देश्य गर्भनिरोधक विकल्पों का विस्तार करना और भारतीय आबादी के लिए परिवार नियोजन सेवाओं की देखभाल की गुणवत्ता पर अधिक ध्यान देना है। ARC में वे संगठन शामिल हैं जिनके पास प्रजनन स्वास्थ्य और परिवार नियोजन में तकनीकी क्षमता और कार्यान्वयन विशेषज्ञता है।

ARC भारत में सभी महिलाओं के लिए उपलब्ध गर्भनिरोधक विकल्पों तक पहुंच बढ़ाने और विस्तार बढ़ाने के लिए समेकित और निरंतर पैरवी के प्रयास करता है। ARC कोर कमेटी गठबंधन द्वारा किए गए रणनीतिक निर्णयों और योजनाओं की देखरेख करती है। राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार और झारखंड में ARC के पांच राज्य चैप्टर हैं। 2005 में इसका पहला सचिवालय परिवार सेवा संस्थान (PSS) के साथ था। 2007 में भारतीय परिवार नियोजन संघ अगला सचिवालय बना। 2015 से भारतीय जनसंख्या फाउंडेशन ARC का सचिवालय है।

अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें: <http://arccoalition.org>



महिलाओं के लिए भूमि अधिकार: तर्क, बाधाएं और रणनीतियाँ

- रंजानी के. मूर्ति



(यह लेख 'गर्ल्स काउन्ट' न्यूज़लैटर के जुलाई-सितंबर 2017, अंक-14 में प्रकाशित किया गया था और इसका अनुवाद यहाँ दिया गया है। यह लेख रंजानी के. मूर्ति के द्वारा लिखा गया है, वह चेन्नई में रहती हैं और शोधकर्ता एवं सलाहकार हैं, जेंडर और विकास पर काम कर रही हैं, इसमें विशेष ध्यान कृषि और जेंडर पर है। वे भारत और विकासशील देशों में इसी तरह के मुद्दों पर जमीनी स्तर संगठनों के साथ ही संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों के साथ काम करती हैं।)

महिलाओं की जमीन तक पहुंच और उस पर अधिकार के लिए तर्क सशक्तिकरण, दक्षता और कल्याण के दृष्टिकोण से दिये जाते रहे हैं। महिलाओं की भूमि पर पहुंच और नियंत्रण क्यों महत्वपूर्ण है, बाधाएं क्या हैं, और महिलाओं की पहुंच को मजबूत करने और जमीन पर नियंत्रण (जमीन के अधिकार) के लिए भारत में अपनाई गई रणनीतियों के बारे में जानने के लिए आलेख पढ़ें।

सतत विकास के लक्ष्यों (SDG) 5 में से एक लक्ष्य, जेंडर समानता और सशक्तिकरण है: 'महिलाओं की उत्पादक क्षमता को मजबूत करने वाले राष्ट्रीय कानूनों के अनुसार, महिलाओं को आर्थिक संसाधनों में बराबर का अधिकार देने, साथ ही भूमि और संपत्ति के अन्य रूपों, वित्तीय सेवाओं, विरासत और प्राकृतिक संसाधनों पर पहुंच से लेकर स्वामित्व तक और नियंत्रण देने के लिए सुधार करना।' 'फिर भी खाद्य और कृषि संगठन (FAO) के डेटा इंगित करते हैं कि दुनिया भर में केवल 12.8 प्रतिशत परिचालन भूमिधारक महिलाएं हैं। कृषि संगणना 2010-2011 इंगित करती है कि भारत में भी यही आंकड़ा (12.78 प्रतिशत) है (कृषि मंत्रालय, 2014)। भूमि पर महिलाओं के नियंत्रण पर सूचना (मात्रात्मक से अधिक गुणात्मक) इंगित करती है कि कौनसी फसलें उगानी हैं, खेती में क्या डालना है और बिक्री या क्या/किसे विरासत के माध्यम से स्वामित्व हस्तांतरण करना है जैसे प्रमुख निर्णय मुख्य रूप से पुरुषों द्वारा लिये जाते हैं। अपवाद स्वरूप महिलाएं खेतों का प्रबंधन कर रही हैं।

भूमि तक पहुंच को भूमि पर प्रवेश करने और का उपयोग करने के अधिकार के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। जमीन पर नियंत्रण से तात्पर्य भूमि के बारे में निर्णय लेने की व्यक्ति की क्षमता (उदाहरण के लिए यह निर्धारित करना कि कितनी भूमि खेती की

गतिविधियों के लिए इस्तेमाल की जाएगी और कितनी जमीन का इस्तेमाल खाद्य या नकदी फसल के लिए किया जाएगा) और बिक्री या विरासत के आधार पर भूमि स्वामित्व का हस्तांतरण करने की क्षमता से है (डंकन, बी.ए, 2004, जेंडर परिप्रेक्ष्य से भूमि पर पहुंच और नियंत्रण, घाना के वोल्टा क्षेत्र में किया गया एक अध्ययन)।

भूमि पर महिलाओं के अधिकार के लिए तर्क भूमि पर महिलाओं की स्वतंत्र पहुंच और अधिकार के लिए तर्क सशक्तिकरण, दक्षता और कल्याण के दृष्टिकोण से दिए जाते रहे हैं।

दक्षता

महिलाओं की भूमि पर पहुंच और नियंत्रण होने के बाद इनपुट, विस्तार, सेवाएं, बाजार, मूल्य श्रृंखला, ग्रामीण संगठन, पशुधन और प्रौद्योगिकियों तक उनकी पहुंच में भी वृद्धि हो सकती है। अंतरराष्ट्रीय कृषि विकास निधि (IFAD), 2012 जेंडर समानता और महिलाएं सशक्तिकरण नीति के अनुसार, अधिक फसल और कृषि भूमि और पशुधन की उत्पादकता तभी बढ़ेगा, जब विशेष रूप से महिलाओं के कृषि और घरेलू काम की कड़ी मेहनत को कम करने के उपाय किए जाएं। अधिक ठोस रूप से, FAO का अनुमान है कि अगर महिला प्रबंधित खेतों में पुरुषों द्वारा प्रबंधित खेतों जैसे उत्पादक इनपुट हासिल हों, तो महिला प्रबंधित खेतों की उपज में 20-30 प्रतिशत की वृद्धि होगी और विकासशील देशों में कुल कृषि उत्पादन में 2.5-4.0 प्रतिशत की वृद्धि होगी।

कृषि उत्पादकता और महिलाओं के जमीन पर नियंत्रण के बीच संबंध उन क्षेत्रों में काफी अधिक है जहां कृषि का स्त्रीकरण किया गया है क्योंकि पुरुष बाहर चले गए थे।

कल्याण और गरीबी में कमी

भूमि के अधिकार में जेंडर अंतराल को दूर करने से महिलाओं और परिवार के अन्य सदस्यों की भोजन और पोषण की सुरक्षा मजबूत हो सकती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि महिलाएं कमाई से होने वाली आय की तुलना में पोषण और खाद्य सुरक्षा को प्राथमिकता देती हैं। FAO के अनुसार, भूमि में जेंडर अधिकार अंतराल, क्रेडिट, प्रौद्योगिकी, आदि को हल करके दुनिया में कुपोषित लोगों की संख्या को 12-17 प्रतिशत तक कम किया जा सकता है। इसके अलावा, खेतिहर महिलाओं के हाथों में आय में वृद्धि से लड़कियों और लड़कों की शिक्षा और परिवार के सभी सदस्यों के स्वास्थ्य में बेहतर निवेश किया जाता है। आवास, स्वच्छता और आजीविका में भी निवेश बढ़ता है। साक्ष्य बताते हैं कि महिलाएं पुरुषों की तुलना में शराब और तंबाकू पर काफी कम खर्च करती हैं। इस प्रकार भूमि पर महिलाओं के अधिकारों को हल करने में गरीबी में कमी और कल्याण (वर्तमान और भावी पीढ़ी के) का तर्क भी शामिल है।

महिलाओं के अधिकार

महिलाओं को भूमि का अधिकार देना महिलाओं के खिलाफ सभी तरह के भेदभाव के उन्मूलन पर समझौता, 1979 (संयुक्त राष्ट्र 2016) के अनुच्छेद 14 में निहित ग्रामीण महिलाओं से भेदभाव को रोकने के लिए महत्वपूर्ण है।

इसी तरह से, महिलाओं के भूमि अधिकारों को मजबूत करने से अन्य क्षेत्रों में महिलाओं के अधिकारों को आगे बढ़ा सकते हैं, जैसे जन्म के समय जेंडर अनुपात, बाल जेंडर अनुपात और जनसंख्या जेंडर अनुपात बेहतर होना। भारत में, जो समुदाय मातृसत्तात्मक

विरासत प्रणाली अपनाते हैं उनमें पितृसत्तात्मक विरासत प्रणाली अपनाने वालों की तुलना में जेंडर अनुपात ऊंचा है। केरल के साक्ष्य बतलाते हैं कि महिलाओं का भूमि पर स्वामित्व महिलाओं के खिलाफ घरेलू हिंसा कम कर देता है (अग्रवाल और पांडा, 2009, घरेलू हिंसा से मुक्ति: जाहिरा तौर पर उपेक्षा)। जो महिलाएं भूमि की मालिक हैं और उस पर नियंत्रण उनके पास PRI के चुनाव लड़ने के लिए में अधिक संसाधन और स्थिति होती है।

महिलाओं के भूमि अधिकारों में बाधाएं

CEDAW समिति की ग्रामीण महिलाओं के अधिकारों पर सामान्य सिफारिश संख्या 34 (2016) महिलाओं के भूमि के अधिकारों में कई बाधाओं को इंगित करती है, जो भारत के लिए भी लागू हैं (देखें चित्र 1 संयुक्त राष्ट्र, 2016)। विभिन्न बाधाएं कानूनों/नीतियों और उनके कार्यान्वयन, प्रथाओं और मानदंडों, और वैश्विक और राष्ट्रीय बाजार की कार्यपरकता से संबंधित हैं।

भारत में, महिलाओं के भूमि के अधिकार प्रत्येक धर्म के व्यक्तिगत कानूनों के अनुसार संचालित हैं। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम जिसे 2005 में संशोधित किया गया था और जो पैतृक भूमि के अधिकारों में बेटियों और बेटों के बराबरी की गारंटी देता है उसको भी प्रभावी ढंग से लागू नहीं किया गया है। इस कानून में वैवाहिक संपत्ति का अधिकार शामिल नहीं है।

इसके अलावा, जो इस कानून को लागू करते हैं उनके द्वारा भी प्रतिरोध किया जाता है। भारत में ग्रामीण भूमिहीनता बढ़ रही है और तमिलनाडु और केरल जैसे राज्यों में यह काफी अधिक है। भूमि के

महिलाओं के भूमि अधिकारों में बाधाएं

कानून और नीतियां

- भूमि/वैवाहिक भूमि के अधिकार पर कोई कानून नहीं
- व्यक्तिगत कानूनों द्वारा नकारना
- गैर-कार्यान्वयन - भूमि सुधार सहित
- विस्थापन के दौरान भूमि का नुकसान
- घटिया मुफ्त कानूनी सहायता सेवाएं

रीति-रिवाज़

- जेंडर-पक्षपाती परंपरागत प्रथाएं और विवाद समाधान तंत्र
- औपचारिक न्यायिक तंत्र तक पहुंच का अभाव
- ताकतवर समुदायों द्वारा भूमि पर कब्जा

बाजार

- कृषि भूमि का अन्य उद्देश्यों के लिए उपयोग
- भूमि का अत्याधिक बाजार मूल्य
- कुछ कंपनियों द्वारा भूमि अधिग्रहण

अधिकार की गारंटी देने वाला कोई कानून नहीं है, महिलाओं के भूमि के अधिकारों की बात ही छोड़ दीजिए। कृषि भूमि का अन्य प्रयोजनों के लिए उपयोग - पर्यटन, जमीन-जायदाद, उद्योग - भी एक बाधा है, और इसने महिलाओं के लिए भूमि खरीदना मुश्किल बना दिया है। इन बाधाओं का अनुभव पुरुषों की तुलना में महिलाओं को और विशेष रूप से भूमिहीन परिवारों की महिलाओं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और धार्मिक और यौन अल्पसंख्यक समूह और दिव्यांग और HIV/AIDS वाली महिलाओं को अधिक होता है।

महिलाओं के भूमि अधिकार मजबूत करने वाली रणनीतियां

जर्नल ऑफ़ एग्रीरियन चेंज में प्रकाशित जेंडर और भूमि अधिकार पर एक नज़र: राज्य, परिवार और बाजार के माध्यम से नई संभावनाओं की खोज में अग्रवाल का अवलोकन है कि सक्षम महिलाएं राज्य, परिवार और बाजार के माध्यम से जमीन प्राप्त कर सकती हैं। महिलाएं समुदाय संस्थानों के माध्यम से भी भूमि प्राप्त कर सकती हैं। इसके अलावा, कृषि भूमिको भी अन्य उद्देश्यों के लिए उपयोग करने से बचाने की जरूरत है।

संक्षेप में, राज्य ने निम्नलिखित उपाय किए हैं। चूंकि 2011 की जाति जनगणना के अनुसार 30 प्रतिशत ग्रामीण परिवार भूमिहीन हैं, अतः राज्य को कृषि भूमि की पहचान करके महिलाओं के नाम या संयुक्त नामों में भूमिहीन परिवारों को प्रदान करनी चाहिए। भूमि सुधार को साथ सख्ती से लागू किया जाना चाहिए जिसमें भूमि को फिर से महिलाओं के नाम या संयुक्त नामों के नाम पर आवंटित किया जाना चाहिए। भूदान आंदोलन के तहत एकत्रित भूमि को पूरी तरह से वितरित नहीं किया गया है और बची हुई भूमि का वितरण महिलाओं के ज़मीन के अधिकार को आगे बढ़ाने का एक और मौका है। इसी तरह, तमिलनाडु जैसे कुछ राज्यों में, औपनिवेशिक काल में वंचित वर्गों (मतलब अनुसूचित जाति) को भूमि आवंटित की गई थी, लेकिन इसे पूरी तरह से आवंटित नहीं किया गया है (मूर्ति, 2015 ड्राफ्ट: तमिलनाडु में भूमि स्वामित्व में जेंडर मुद्दे, LBSNAA, मसूरी)। महाराष्ट्र में, राज्य सरकार ने एक नीति तैयार की है जिसके तहत पति अगर अपनी भूमि और घर के स्वामित्व में पत्नी का नाम जोड़ता है या यह पूरी तरह से अपनी पत्नी के नाम हस्तांतरित करता है तो पुनः पंजीकरण फीस नहीं ली जाएगी। यह नीति महिला आर्थिक विकास महामंडल (MAVIM) के माध्यम

से, शिविरों के माध्यम से कुछ सफलता के साथ लागू की गई थी, जिसने पुरुषों में जागरूकता बढ़ा दी कि यदि उन्हें कुछ हो जाता है तो वे अपनी पत्नियों और बच्चों के कल्याण के प्रति आश्वस्त हो सकते हैं (MAVIM, n.d)। MAVIM ने महिला सशक्तिकरण का समर्थन करने के लिए गांव में MAVIM के पुरुष मित्रों का एक कैडर बनाया है। बाजार रणनीतियों (अक्सर सरकार की सहायता से) में बाजार कीमतों पर जमीन खरीदने में महिलाओं के समूहों की मदद करना शामिल है। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडू में, सरकार ने महिलाओं के स्व-सहायता समूहों को बैंकों से जोड़ दिया है ताकि महिलाओं को अपने नाम पर या पंजीकृत स्व-सहायता समूह के नाम पर जमीन खरीदने के लिए ऋण लेने में सहायता मिल सके। इन समूहों को 'वेलुगु' या 'थिट्टम' जैसे सरकारी कार्यक्रम के तहत बनाया गया है लेकिन अर्ध-सरकारी संस्थानों के द्वारा।

महिलाओं के भूमि अधिकारों के लिए समुदाय की रणनीतियों में वंचित महिलाओं के समूहों को राज्य या कॉर्पोरेट हितों के द्वारा भूमि और समुदाय की भूमि हड़पने से रक्षा के लिए साथ आने से लेकर उपेक्षित महिलाओं द्वारा खेती वाली भूमि की पहचान करने, इसे राजस्व अधिकारियों के ध्यान में लाने और उस पर व्यक्तिगत या सामूहिक नाम पर दावा करना शामिल है। कभी-कभी वे भूमि की सफाई के लिए महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना और जमीन पर खेती करने के लिए पूंजी जुटाने के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के साथ बंधे होते हैं। कुछ ट्रस्ट के पास अनुमति से अधिक जमीन है और महिला समूहों ने उन पर भी दावा कर रखा है। व्यक्तिगत और सामुदायिक रणनीतियों का संयोजन यह है कि महिलाएं अपने संगम या समूहों की सहायता से जन्मजात (भूमि वाले) परिवारों से अपने विरासत अधिकारों का दावा कर रही हैं। जहां रणनीतिक जागरूकता के आधार पर उनकी अपनी पहल है, वहां उनका सशक्तिकरण हुआ है। हालांकि, कभी-कभी महिलाओं पर उनके पतियों द्वारा जन्मजात संपत्ति के अधिकारों का दावा करने पर दबाव डाला जाता है। ऐसे उदाहरणों से सशक्तिकरण प्रभाव सीमित होता है। इस प्रकार, भूमि पर महिलाओं के अधिकार को आगे बढ़ाने के लिए कई रणनीतियां हैं। हमें उसे चुनना है जो एक विशेष स्थिति के लिए उपयुक्त हो। हालांकि यह स्पष्ट है कि रणनीतिक जागरूकता और स्वतंत्र और सामूहिक कार्रवाई नितांत जरूरी है।

रंजानी के. मूर्ति से r.krishnamurthy@alumni.ids.ac.uk पर संपर्क किया जा सकता है।



‘महिलाएं आधा आकाश थामे हुए हैं लेकिन जिस तरह उनके साथ व्यवहार किया जाता है उनके लिए उस भार को वहन कर पाना बहुत मुश्किल है’

- डॉ. सैयदा हमीद

(यह लेख ‘गर्ल्स काउन्ट’ न्यूज़लैटर के जुलाई-सितंबर 2017, अंक-14 में प्रकाशित किया गया था और इसका अनुवाद यहा दिया गया है। यह लेख शिक्षाविद, महिला अधिकार कार्यकर्ता और लेखक, डॉ. सैयदा हमीद कई भूमिकाओं में रही हैं, लेकिन वे कहती हैं कि इन सभी भूमिकाओं में, ‘जेंडर’ सर्वोपरि विषय रहा है। इस बातचीत को यह जानने के लिए पढ़ें कि तीन तलाक पर सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय, लड़कियों के लिए सरकार के प्रमुख कार्यक्रम BBBP और महिलाओं से संबंधित अन्य नीतिगत मुद्दों पर उनकी सोच क्या है।



प्रश्न गर्ल्स काउन्ट: आप महिला अधिकार कार्यकर्ता, शिक्षाविद, शांति क्रूसेडर, लेखक, भारतीय योजना आयोग और राष्ट्रीय महिला आयोग की सदस्य रही हैं। क्या आप मानती हैं कि ये भूमिकाएं एक दूसरे को प्रभावित करती हैं? कौन सी भूमिका आपको सबसे ज्यादा परिभाषित करती है।

डॉ. सैयदा हमीद: ये भूमिकाएं एक दूसरे के साथ पूरी तरह से जुड़ी हुई हैं।

जहां तक मेरा सवाल है सब कुछ जेंडर के साथ शुरू होता है। जेंडर से लेकर शांति प्रक्रिया में महिलाओं के हस्तक्षेप, उनकी शिक्षा और अधिकार चुनौतीपूर्ण रहा है। बहुत से लोगों ने महिलाओं की साक्षरता और शिक्षा के बारे में लिखा है, लेकिन यह क्षेत्र अभी तक हल नहीं किया गया है। योजना आयोग महिलाओं की समावेशी तरक्की और विकास करना चाहता है। मैं कहूंगी ‘जेंडर’ मुझे सबसे ज्यादा परिभाषित करेगा क्योंकि हमने हमेशा आसमान के नीचे महिलाओं को जगह दिलाने के लिए संघर्ष किया है। महिलाएं आधा आकाश थामे हुए हैं लेकिन जिस तरह उनके साथ व्यवहार किया जाता है उनके लिए उस भार को वहन कर पाना बहुत मुश्किल है। मैं कहूंगी कि मेरे जीवन में यह सर्वोपरि रहा है।

प्रश्न गर्ल्स काउन्ट: महिलाओं के मुद्दे पर काम करने की आपकी यात्रा के बारे में हमें बताएं। क्या आपने भारत में पिछले पांच दशकों में महिलाओं की स्थिति/सुरक्षा में कोई बदलाव देखा है? सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र कौनसा है जहां सरकार और नागरिक समाज को और अधिक ध्यान देना चाहिए?

डॉ. सैयदा हमीद: जब हमने 1997 में ऑनर किलिंग, सती, आदि जैसे मुद्दों पर राष्ट्रीय आयोग के साथ काम शुरू किया, तो पुलिसकर्मी

मानते थे कि महिलाओं के समूह और संस्थान परिवारों को तोड़ते हैं। निश्चित रूप से इसमें सुधार हुआ है। वे अब जानकार हैं और संवेदनशील हैं। एक और परिवर्तन यह है कि महिलाओं ने बोलना शुरू कर दिया और अब हिंसा के बारे में चुप्पी नहीं रह गई है। ‘वन बिलियन राइजिंग’ जैसे कई वैश्विक आंदोलन खड़े हुए हैं जिन्होंने महिलाओं को आवाज़ उठाने में सहायता की है। अब वे यौन उत्पीड़न के खिलाफ बात करती हैं। पहले कनेक्शन (पहुंच) वाले लोग बच निकलते थे लेकिन अब एक बराबरी का माहौल है क्योंकि महिलाएं आवाज उठा रही हैं। लेकिन आज भी, युवा महिलाएं दहेज के लिए जला दी जाती हैं और उन्हें यातना दी जाती हैं और इन घटनाओं में 20 साल पहले जब 1997 में मैंने काम करना शुरू किया था तब से कोई कमी नहीं आई है। हम हमेशा मानते थे कि समाज की मानसिकता बदली जा सकती है लेकिन मुझे लगता है कि हम इसमें बुरी तरह विफल रहे हैं।

प्रश्न गर्ल्स काउन्ट: जब आप योजना आयोग की सदस्य थी तो आयोग ने केंद्र सरकार के लिए महिलाओं के लिए कौनसी महत्वपूर्ण नीतियां तैयार की थी/सिफारिश की थी?

डॉ. सैयदा हमीद: हमने एक बहुत ही महत्वपूर्ण नीति तैयार की थी और अगर इस पर दृढ़ता से पालन किया गया होता तो इसका बहुत ही प्रभावशाली असर पड़ सकता था। जैसा सबको पता है, संसाधन आवंटन योजना आयोग का एक मुख्य कार्य है, तो वह नीति जेंडर बजट के बारे में थी। हमारा परिभाषित सिद्धांत था कि महिलाओं की हर क्षेत्र में समान हिस्सेदारी होनी चाहिए, चाहे वह पर्यावरण, सड़क, ऊर्जा या ग्रामीण विकास क्यों न हो। उन्होंने हमसे पूछा: ‘महिलाओं के लिए समान हिस्सेदारी क्या है? वे भी दूसरों की तरह सड़कों पर

चल सकती हैं।' तथ्य यह है कि इसे महिलाओं की सुरक्षा; उचित प्रकाश व्यवस्था और उनके लिए शौचालय के साथ भी लेना-देना है। इसलिए हमने योजना बनाते समय यह सुनिश्चित करने के प्रयास किए गए हैं कि इसे निष्पादित करने की जवाबदेही के साथ महिलाओं के लिए बजट आवंटन हो। यह बहुत मुश्किल था क्योंकि महिलाओं को पहले अनदेखा किया जाता था। शुरुआत में, जेंडर बजट 33 प्रतिशत था लेकिन इसने वास्तव में कभी लक्ष्य प्राप्त नहीं किया। और ज्यादातर चीजें दिखाई नहीं पड़ती थीं क्योंकि जब हम गहराई से जांच करते थे तो पाते थे कि वास्तव में महिलाओं के लिए कुछ भी नहीं था। जब हमने अपना काम शुरू किया, हमने इन सभी मुद्दों को ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना में हल किया और अमर्त्य सेन जैसे नारीवादी अर्थशास्त्री की सहायता से बारहवीं पंचवर्षीय योजना में इसमें गहराई में गए। लेकिन उसके बाद इस पर लगातार काम करने की जरूरत है क्योंकि निश्चित रूप से आखिरकार यह एक संसाधनों का मामला है।

प्रश्न गर्ल्स काउन्ट: आज सुप्रीम कोर्ट मुस्लिम महिलाओं के अधिकार पर सक्रिय हो गया है। आप इसे कैसे देखती हैं और तीन तलाक पर आपके विचार क्या हैं!

डॉ. सैयदा हमीद: हम सब जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का निर्णय सर्वसम्मति से नहीं है लेकिन लब्बोलुआब यह है एक बार में तत्काल तीन तलाक देना खत्म हो गया है। यह पहले भी 2002 में शमीम आरा और दगडू पठान के मामले में किया गया था। लेकिन इस बार यह स्पष्ट और जबरदस्त है। अतः अब, तलाक-ए-बिद्दत (तत्काल, मौखिक, एक बार में) अमान्य किया गया है और यह देश के कानून के खिलाफ है। अब सवाल यह है कि इसे लागू कैसे किया जाएगा? कोई पति अपनी पत्नी को अपने वैवाहिक घर से बाहर नहीं निकाल सकता है लेकिन यह केवल आदेश के कार्यान्वयन के माध्यम से सुनिश्चित किया जा सकता है और इसलिए इसे कानून के रूप में घोषित किया जाना चाहिए।

मुसलमानों के लिए यह एक अच्छा फैसला है क्योंकि तत्काल तीन तलाक इस्लाम में मौजूद नहीं है। जब मैं इस्लाम के बारे में बात करती हूँ, तो मैं कुरान का उल्लेख करती हूँ। मैं हनाफी, मलाकी, जाफरी, शफाई और हनाबली जैसे पांच संप्रदायों की शाखाओं की बात नहीं कर रही हूँ। हनाफी संप्रदाय इस पर विश्वास करता है, लेकिन यह एकमात्र संप्रदाय नहीं है। जब पैगंबर हजरत मोहम्मद ने

इस प्रथा से नफरत की और जब इस्लाम में एक प्रथा गलत है, तो यह कानून की नजरों में सही कैसे हो सकती है?

मुझे लगता है कि धर्म और संविधान इस मामले में करीब आए हैं और धर्म की आत्मा का पालन किया गया है। सभी देशों ने तलाक-ए-बिद्दत को समाप्त कर दिया है भले ही वह सऊदी अरब हो या ईरान हो। पाकिस्तान और बांग्लादेश ने इसे काफी पहले खत्म कर दिया था। अल-हदीस में इस प्रथा की अनुमति बिल्कुल भी नहीं है। मैं निश्चित रूप से इसका स्वागत करती हूँ। यह एक आगे बढ़ने वाला कदम है। लेकिन महिलाओं को कैसे फायदा होगा यह कार्यान्वयन पर निर्भर करता है।

प्रश्न गर्ल्स काउन्ट: हमारे पास देश में संवैधानिक और परंपरागत दोनों कानून हैं। आपकी राय में, महिलाओं की संपत्ति तक पहुंच, स्वामित्व और नियंत्रण में कमी क्यों है?

डॉ. सैयदा हमीद: समानता के अधिकार को सुनिश्चित करने में ढीले रवैये के कारण, महिलाएं संवैधानिक और परंपरागत दोनों कानूनों के संदर्भ में पीछे धकेल दी जाती हैं। हमने कानूनों में कई संशोधन देखे हैं जिन्हें आधुनिकता का पुट देने के लिए किया गया था चाहे यह हिंदू कानून, ईसाई कानून या पारसी कानून क्यों न हो। उदाहरण के लिए, ब्रिटिश समय के दौरान सती प्रथा को समाप्त कर दिया गया था लेकिन मैंने खुद उत्तर प्रदेश में महोबा में सती का मामला दर्ज कराया था।

जहां तक महिलाओं के विकास का संबंध है, इसमें देश में कोई समानता नहीं है। ओडिशा के मलकानगिरी में, आदिवासी महिलाएं अपनी कमर से ऊपर कपड़े नहीं पहनती हैं और खुद को गहनों से कवर करती हैं। हमारे यहां बहुत विविधता है और ये परंपरागत कानून महिलाओं को पीछे धकेलते हैं। महिलाएं अभी भी चुड़ैल के नाम पर मारी जाती हैं। यह हमारी मानसिकता दिखाता है। अंधविश्वासपूर्ण सोच समस्याओं को बढ़ाती है। इन सबके पीछे महिलाओं और संपत्ति पर पूर्ण शारीरिक नियंत्रण की पितृसत्तात्मक मानसिकता है। जहां तक इस्लाम का संबंध है, 1439 साल पहले इसका उल्लेख किया गया था कि महिला को संपत्ति में से कितना हिस्सा मिलेगा, हम अभी भी वहीं अटके हुए हैं और इसके अलावा, हम उसका भी पालन नहीं कर रहे हैं और उसे कोई भी हिस्सा नहीं देना चाहते हैं। हमारे धर्म में, व्याख्या के लिए दरवाजा बंद है और यह एक प्रतिगामी

चीज है क्योंकि व्याख्याएं समय के साथ बदलती रहती हैं।

प्रश्न गर्ल्स काउन्ट: भारत सरकार के प्रमुख कार्यक्रम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ (BBBP) के लिए आपकी सिफारिशें क्या होंगी जिसका लक्ष्य लड़कियों की 'अवांछनीयता' को कम करना हो?

डॉ. सैयद हमीद: BBBP पूर्ण ऊर्जा और उत्साह के साथ चलाया जा रहा है। ये हरियाणा के पानीपत में लॉन्च किया गया, जहां से मैं आती हूँ। प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने मेरे परदादा की नज़्म को उद्धृत किया था जो नारीवादी शायर थे और उन्होंने लगभग 150 साल पहले महिलाओं और विशेष रूप से लड़कियों के समर्थन में लिखा था। हमें एक लंबा रास्ता तय करना है और मुझे खुशी है कि सरकार ने इसे एक मिशन के रूप में लिया है। लड़कियों पर काम UPA-I और UPA-II के द्वारा भी शुरू किया गया था और अब वर्तमान सरकार इसे कर रही है। प्रत्येक सरकार ने इस मुद्दे को हल करने की


भरसक कोशिश की है। इस तथ्य को बढ़ावा देने के लिए कि लड़कियां बोझ नहीं हैं देश भर में एक सिरे से दूसरे सिरे तक बहुत अधिक जागरूकता, संसाधन होने चाहिए और आंदोलन होना चाहिए। मेरे पास ऐसा करने का अच्छा तरीका है। अल्ट्रासाउंड केंद्र सरकार के रेडार पर रहे हैं और प्रौद्योगिकी में प्रगति के साथ, सेक्स निर्धारण परीक्षण पूरी तरह से बंद नहीं किया जा सकता है। बेटी नापसंदगी को कायम रखने में प्रौद्योगिकी भी मदद करती है।

मुझे लगता है जल्द ही ऐसी तकनीक होगी जिससे घर पर बैठे हुए आप गर्भ के लिंग का पता लगा सकेंगे। लेकिन दुर्भाग्य से, लोगों को हमारे समाज पर पड़ने वाले असर का एहसास नहीं है।

डॉ. सैयदा हमीद से hameed.syeda@gmail.com पर संपर्क किया जा सकता है।



श्रद्धांजलि



गंगा नदी को बचाने के प्रयास में
प्रो. जी. डी. अग्रवाल का निधन
(20 जुलाई 1932 - 11 अक्टूबर 2018)

(प्रोफेसर गुरु दास अग्रवाल एक लोकप्रिय अभियंता, धार्मिक नेता, भिक्षु, पर्यावरणविद सह कार्यकर्ता और प्रोफेसर संत स्वामी ज्ञानस्वूपसानंद के नाम से जाने जाता है। प्रोफेसर अग्रवाल 1905 में मदन मोहन मालवीय द्वारा स्थापित गंगा महासाभा नामक एक गैर-सरकारी संगठन के संरक्षक थे)

22 जून 2018 के बाद से अनिश्चितकालीन उपवास पर रहे प्रोफेसर जी. डी. अग्रवाल गंगा नदी को साफ करने के लिए प्रभावी कार्रवाई की मांग कर रहे थे। उनका निधन 11 अक्टूबर 2018 को 86 वर्ष की उम्र में कार्डियक हमले के कारण हुआ था। डॉ अग्रवाल के निधन उसके दो दिन पहले उन्होंने पानी ले लेना बंध किया था, क्योंकि गंगा के बेसिन की राज्य सरकारों में से कोई भी, केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय, जल संसाधन मंत्रालय या प्रधान मंत्री कार्यालयने उनके सत्याग्रह का प्रतिभाव नहीं दिया और गंगा को साफ करने और बचाने के लिए कार्रवाई की। डॉ अग्रवालने मांग की कि सरकार को नदी की सहायक नदियों के साथ जलविद्युत परियोजनाओं के निर्माण को रोकना चाहिए और गंगा संरक्षण प्रबंधन अधिनियम को अधिनियमित करना चाहिए ताकि नदी को जीवन में वापस आने का मौका मिले।

डॉ अग्रवालने आईआईटी कानपुर के फैकल्टी सदस्य के रूप में कार्य किया है और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को औद्योगिक और शहरी प्रदूषणियों के खिलाफ कठिन कार्रवाई करने के लिए सदस्य सचिव के रूप में निर्देशित किया है और नदियों के मुक्त और स्वस्थ प्रवाह सुनिश्चित किया है। उन्होंने अपने तपस्वी जीवन और पर्यावरण के प्रति समर्पण से हजारों लोगों को प्रेरित किया।



विकास शिक्षण संगठन

जी-1, 200, आज़ाद सोसायटी, अहमदाबाद-380015

फोन: 079-26746145, 26733296 फेक्स: 079-26743752 email: sie@unnati.org वेबसाइट: www.unnati.org

राजस्थान क्षेत्रीय कार्यालय

650, राधाकृष्णन पुरम, लहरिया रिसोर्ट के पास, चौपासनी-पाल बाई पास लिंक रोड, जोधपुर-342014, राजस्थान

फोन: 091-7425858111 email: jodhpur_unnati@unnati.org

इस बुलेटिन के लेखों में व्यक्त विचार लेखकों के अपने हैं।

दीपा सोनपाल, रमेश पटेल : ईमेल: sie@unnati.org, publication@unnati.org

अनुवाद: आर. के. गुप्ता

मुद्रक: प्रिन्टविज़न, अहमदाबाद

केवल सीमित वितरण के लिए

आप लोक शिक्षण व प्रशिक्षण के लिए विचार में प्रकाशित सामग्री का सहर्ष उपयोग कर सकते हैं। कृपया सौजन्य का उल्लेख करना न भूलें और साथ ही अपने उपयोग से हमें अवगत करवायें ताकि हम भी उससे कुछ सीख सकें।